

**MOST URGENT**

GOVT. OF N.C.T. OF DELHI  
DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT  
10<sup>TH</sup> LEVEL: C-WING, DELHI SECRETARIAT.  
I.P. ESTATE NEW DELHI

F. No. 13(04)/2011/MB/UD/2014/ 5286-91

Dated: 13.10.2015

To

1. The Chairperson, New Delhi Municipal Council,  
Palika Kendra, New Delhi-110001.
2. The Commissioner, North Delhi Municipal Corporation,  
Civic Centre, Jawaharal Nehru Marg, New Delhi.
3. The Commissioner, South Delhi Municipal Corporation,  
Civic Centre, Jawaharal Nehru Marg, New Delhi.
4. The Commissioner, East Delhi Municipal Corporation,  
Udyog Sadan, Industrial Area, Patparganj, Delhi-92.
5. The Chief Executive officer,  
Delhi Cantonment Board, Delhi Cantt, New Delhi.

**Subject :- Copy of notification of GNCT of Delhi Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Scheme, 2015.**

Sir,

Please find enclosed herewith a copy of GNCT of Delhi Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Scheme, 2015 notified on 23.9.2015 containing pages 1 to 32 on the subject cited above. This is for your information and necessary action.

Encl.: - As above

Yours faithfully,

  
(Alok Sharma)  
Deputy Secretary (MB)

Copy to Programmer, Urban Development Department with request to upload the scheme on Government website.

Deputy Secretary (MB)

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123]  
No. 123]

दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2015/आश्विन 1, 1937  
DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2015/ASVINA 1, 1937

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 105  
[N.C.T.D. No. 105

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 सितम्बर, 2015

सं. फा. 13(4)2011/यूडी/एमबी/2014/6093.—पटरी विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का केन्द्रीय अधिनियम 7) की धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) के साथ पठित धारा 38 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:—

1. प्रारम्भिक :

- इस योजना को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिल्ली पटरी विक्रेता (आजीविका का संरक्षण तथा पटरी विक्रय विनियमन) योजना, 2015 कहा जाएगा।
- इस योजना के प्रावधान दिल्ली राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- पटरी विक्रेता, विक्रय क्षेत्र, पटरी विक्रेता के लिये योजना, नगर पटरी विक्रेता समिति और इसके कार्य और अन्य सम्बद्ध मामलों का अर्थ एवं व्याख्याएं पटरी विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पटरी विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014 और दिल्ली पटरी विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पटरी विक्रय का विनियमन) नियमावली, 2014 के अनुसार होंगे/होंगी।
- इस योजना का उद्देश्य अधिनियम और नियमावली के अनुसार पटरी विक्रेताओं को अपना व्यवसाय करने के लिये सहयोगात्मक पर्यावरण उपलब्ध कराना और इसे बढ़ावा देना है।
- जब कभी आवश्यकता पड़े, तब स्थानीय निकायों और नगर पटरी विक्रेता समिति के साथ यथोचित परामर्श करने के उपरांत सरकार द्वारा पटरी विक्रेता योजना संशोधित की जा सकेगी।

अध्याय - 1	
पटरी विक्रेताओं का सर्वेक्षण कराने की पद्धति:	
1.	
(1.1.1.)	स्थानीय निकायों के सहयोग से नगर पटरी विक्रेता समिति अपने क्षेत्राधिकार के भीतर नगर पटरी विक्रेता समिति के आदेश की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर सभी पटरी विक्रेताओं का एक व्यापक अकीकृत फोटो गणना/सर्वेक्षण और सभी वर्तमान स्थाई पटरी विक्रेताओं की जी आई एस भेपिंग करेगी और इसके बाद सर्वेक्षण प्रत्येक तीन वर्ष के बाद किया जाएगा।
(1.1.2.)	स्थानीय निकाय पटरी विक्रेता को स्थल का सर्वेक्षण के प्रारम्भ होने की सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा। सूचना में इसके साथ-साथ इनका भी उल्लेख होगा: क. कॅम्प, मार्किट/क्षेत्रवार सर्वेक्षण की तिथि एवं समय ख. स्थानीय निकायों के क्षेत्र के नोडल अधिकारी ग. पटरी विक्रेता के पंजीकरण के लिये आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि एवं समय
(1.1.3.)	नगर पटरी विक्रेता समिति स्थानीय निकायों/व्यवसायिक संगठनों/विशेषज्ञों/स्वयं सेवी संगठनों के साथ मिलकर वर्तमान स्थायी और अन्य पटरी वालों/फेरीवालों का सर्वेक्षण कराने, मॉनीटर एवं पर्यवेक्षण करने तथा व्यापक अकीकृत फोटो बॉयोमेट्रिक गणना, जीपीएस/जीआईएस प्रारम्भ कराके करेगी।
(1.1.4.)	स्थानीय निकाय, नगर पटरी विक्रेताओं/फेरीवालों का सर्वेक्षण कराने के लिए किसी खुली पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से नगर पटरी विक्रेता समिति की संस्तुतियों के आधार पर एक एजेंसी को लगा सकता है और समुदाय भागीदारी के माध्यम से वैकल्पिक पद्धतियों के प्रयोग या नगर पटरी विक्रेता समिति की संस्तुतियों के आधार पर स्वयं सेवी संगठनों/रेजीडेण्ट वेल्फेयर एसोसिएशनों/एमटीए और शोध अभिकरणों के समर्थन से भी कर सकती है।
(1.1.5.)	क्षेत्र/मार्किट वार टीमों का गठन करके सर्वेक्षण किया जाएगा, जिनमें पुलिस एवं स्थानीय निकायों के कर्मचारी तथा नामांकित नगर पटरी विक्रेता समिति या किसी ऐसे अन्य अभिकरण/अभिकरणों का सदस्य होगा, जिसमें इस प्रयोजन के लिये यथा अपेक्षित पंजीकृत स्वयंसेवी संगठनों, रेजीडेण्ट वेल्फेयर और मार्किट ट्रेड एसोसिएशनों के सदस्य भी शामिल हैं।
(1.1.6.)	कम से कम तीन स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से सर्वेक्षण के समय का तथा मार्किट के प्रमुख स्थानों पर नोटिस लगाकर व्यापक रूप से परिचालित और प्रचारित किया जाएगा। इसमें आवश्यक प्रलेखों सहित पटरी स्थलों पर प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक जानकारी के बारे में भी उल्लेख हो। सार्वजनिक सूचना के माध्यम से जानकारी में इसके साथ-साथ सर्वेक्षण किए जाने वाले क्षेत्र की तिथि, सुविधा केन्द्र का स्थल, सर्वेक्षण का नोडल अधिकारी, सर्वेक्षण प्रारम्भ होने तथा समाप्त होने की तिथि एवं समय का उल्लेख हो।
(1.1.7.)	सर्वेक्षण दल प्रारम्भिक विवरण अर्थात् पटरी विक्रेता का नाम, लिंग, आयु, जन्म तिथि, जन्म स्थान, धर्म/कारोबार का स्वरूप, विक्रय करने की पद्धति, माता-पिता, आश्रित पति/पत्नी के नाम, आश्रित बच्चे, पटरी लगाने का स्थान, फेरी/पटरी कब से लगाई जा रही है, जो उचित प्रलेखी प्रमाण पर आधारित हों, पता (वर्तमान एवं स्थाई, वर्तमान पटरी वालों को सम्पर्क करने के लिये फोन/मोबाइल फोन संख्या, अपगता वाले पटरी विक्रेता और महिला की स्थिति और पटरी लगाने का प्रमाण का संग्रह होगी। यदि कोई हो, तो न्यायालय के आदेश सहित पहचान का प्रमाण यदि कोई हो स्थानीय निकाय द्वारा यथा निर्धारित (क-परिशिष्ट) शेष विवरण के लिए आवेदन पत्र मीके पर ही पटरी विक्रेताओं को जारी किया जाएगा।
(1.1.8.)	पंजीकरण हेतु सर्वेक्षण फार्म/आवेदन-पत्र, कम्प्यूटर से विशिष्ट बारकोड/आई डी सहित बनाया जाएगा और इस का संलग्न पावती रसीद में उल्लेख होगा। सर्वेक्षण के दौरान स्थल पर नगर पटरी विक्रेता समिति आदि द्वारा नामांकित दल/विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा सर्वेक्षण फार्म/पंजीकरण आवेदन किया जाएगा।
(1.1.9.)	सर्वेक्षण स्थल पर सर्वेक्षण किये गए प्रत्येक पटरी विक्रेता का वीडियोग्राफ और स्टिल फोटोग्राफों की जा सकेगी, यह सर्वेक्षण अभिलेख का भाग होगी जिसमें सर्वेक्षण अभिलेख के रजिस्टर में सर्वेक्षण की तिथि एवं सर्वेक्षण स्थल उल्लिखित हो।
(1.1.10.)	सर्वेक्षण अवधि के दौरान पंजीकरण फार्म भरके सर्वेक्षण स्थल पर अर्थात् कर्मचारियों द्वारा पटरी विक्रय स्थल पर प्रस्तुत किया जाएगा और व्यक्तियों द्वारा विभाग अलग से कोई भी पंजीकरण फार्म स्थानीय निकायों में, किसी भी कारण, चाहे जो भी हो, जमा नहीं कराया जाएगा। केवल सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही सर्वेक्षण किये गए पटरी विक्रेता का अनुवर्ती पंजीकरण, पटरी विक्रेता प्रमाण-पत्र योग्य व्यक्तियों को पटरी स्थलों की उपलब्धता के आधार पर जारी किया जाएगा, नगर पटरी विक्रेता समिति द्वारा एक नयी पंजीकरण सूचना जारी की जाएगी।
(1.1.11.)	प्रभावी तथा पारदर्शी सर्वेक्षण के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकेगा, जिसमें सर्वेक्षण विवरण एकत्रित करने के लिए जीपीएस, टेबलट और ऑनलाइन प्रयोग और इसका सही समय पर सेक्टर सर्वे जोड़ना सम्मिलित है। फोटोग्राफ, स्थल, समन्वयक और इनकी अवस्थिति और सर्वेक्षण स्थल पर उपलब्ध प्रलेखों का स्कैन करके सही समय पर डाले जाएंगे। वास्तविक सर्वेक्षण फार्म/आवेदन पत्रों को भी स्कैन करके अकीकृत (डिजिटाइज्ड) किया जाएगा, जिसको विशिष्ट आईडी से ढूँढा जा सकेगा और पावती फार्म में उल्लिखित बारकोड सर्वेक्षण के समय आवेदक/पटरी विक्रेता को दिया जाएगा।

(1.1.12)	<p>स्थल पर कर्मचारी या पंजीकरण फार्म पूरा करने में या पूरा भरने में सहयोग करने वाला व्यक्ति पावती जारी करेगा, जिस पर संदर्भ के प्रयोजनार्थ विशिष्ट आईडी और बारकोड का उल्लेख होगा। जिन पट्टी विक्रेताओं का सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके हस्ताक्षर और निशान अंगूठा प्राप्त किए जाएंगे। सहयोग प्रदान करने वाला व्यक्ति आवेदन-पत्र/सर्वेक्षण फार्म संख्या, पट्टी स्थल कहां पर स्थित है, पट्टी स्थल के फोटोग्राफ, स्कैन किए गए प्रलेखों आदि के बारे में सर्वेक्षण फार्म में जानकारी भी उपलब्ध कराएगा।</p>
(1.1.13)	<p>पट्टी विक्रेता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन हेतु आवेदन पत्र का शुल्क ऐसे आवेदन पत्र/पंजीकरण फार्म के लिए 100 रुपये निश्चित किया जाएगा।</p>
(1.1.14)	<p>स्थानीय निकाय/नगर पट्टी विक्रेता समिति पंजीकरण फार्म भरने के लिये पट्टी विक्रेताओं को सुविधा सेवा प्रदाता के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।</p>
(1.1.15)	<p>पट्टी विक्रेता के रूप में पंजीकरण के लिये और अनुवर्ती पट्टी विक्रेता प्रमाण पत्र (सीओवी) जारी करने की पात्रता शर्तें निम्न प्रकार हैं:</p> <p>क. पट्टी विक्रेता भारत का नागरिक होना चाहिए और वह नियमों में यथाविनिर्दिष्ट 18 वर्ष के आयु के मानक को पूरा करता हो।</p> <p>ख. वह दिल्ली राज्य में अवश्य पंजीकृत मतदाता होना/होनी चाहिए।</p> <p>ग. उसका पंजीकरण पहले किसी भी कारण के आधार पर लाइसेंस/पंजीकरण की शर्तों के उल्लंघन करने पर रद्द नहीं हुआ हो।</p> <p>घ. आवेदक से वसूलीय पट्टी विक्रय शुल्क/प्रभार/अर्धदण्ड सम्बन्धी बकाया राशि नहीं होनी चाहिए</p> <p>(ड) वह या उसके परिवार का कोई भी सदस्य पट्टी विक्रेता के रूप में पंजीकृत नहीं होना चाहिए और किसी अन्य स्थानीय निकाय द्वारा अस्थायी साप्ताहिक बाजार, त्यौहार पर पट्टी लगाना, विक्रय प्रमाण-पत्र सहित पट्टी विक्रय प्रमाण-पत्र उसके द्वारा नहीं लिया होना चाहिए</p> <p>(स्थानीय निकाय उक्त जानकारी की प्रमाणिकता के लिये पट्टी विक्रेताओं के विवरण का आदान-प्रदान करेगी।)</p>
(1.1.16)	<p>पट्टी विक्रय के कारोबार में वास्तव रूप में कार्यरत पट्टी व्यक्ति की प्रमाणिकता-त्यौहार पर पट्टी लगाना की रसीद, टोकन, चालान, यातायात पुलिस चालान, अर्धदण्ड या शुल्क की कोई रसीद, पंजीकृत रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन के प्रमाण-पत्र पट्टी विक्रेता एसोसिएशनों की सदस्यता, इस प्रकार के लोगों के कल्याण के लिये कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों के प्रमाण-पत्र जैसे पट्टी विक्रेता कार्यकलाप के प्रमाणों से सत्यापित किया जाएगा। इस प्रकार उपलब्ध प्रलेखों/दस्तावेजों की ध्यानपूर्वक पूरी-पूरी जांच की जानी चाहिए।</p>
(1.1.17)	<p>पंजीकरण फार्म पर सही-सही जानकारी देने का दायित्व मुख्यतः आवेदक पर है। यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी झूठी, असत्य या भ्रम में डालती है, तो पंजीकरण रद्द किया जाएगा और घोषाघड़ी के लिये उस पर अभियोग लगाया जाएगा।</p>
(1.1.18)	<p>सम्बद्ध स्थानीय निकाय द्वारा इस प्रकार नियुक्त नोडल अधिकारी, आवेदन-पत्र की प्राप्ति होने पर परिशिष्ट 'क' में यथा उल्लिखित स्थानीय निकायों के साथ पंजीकृत हुए पट्टी विक्रेता को पावती रसीद जारी करेगा, जिस पर कम्प्यूटर द्वारा तैयार विशिष्ट आईडी और बारकोड लगा होगा, जो आवेदन पत्र में उल्लिखित हो। सर्वेक्षण के लिये स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा समाप्त होने के बाद कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किया जाएगा। विधिवत् भरे गए सारे सर्वेक्षण फार्म /पंजीकरण आवेदन पत्रों का कम्प्यूटरीकरण करके अंकीकृत अभिलेख रखा जाएगा।</p>
(1.1.19)	<p>सर्वेक्षण के समय आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण किसी नियमित पंजीकरण की गारंटी नहीं होगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रलेखों की उपयुक्तता तथा सत्यता के आधार पर अलग से पंजीकरण निर्धारित किया जाएगा।</p>
(1.1.20)	<p>पट्टी विक्रेता/विक्रेताओं के पंजीकरण के 30 दिन के भीतर स्थानीय निकाय अपनी वेबसाइट पर जानकारी प्रकाशित करेगा। जिन आवेदकों का पंजीकरण नहीं किया गया है उन्हें, पंजीकरण न होने के कारणों सहित तदनुसार सूचित किया जाएगा और सम्बन्धित नोडल अधिकारी के माध्यम से दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जाएगा। ऐसी जानकारी को खोज सुविधाओं सहित प्रयोक्ता अनुकूल पद्धति से उपलब्ध कराई जाएगी।</p>
(1.1.21)	<p>किसी पट्टी विक्रेता का प्राप्त आवेदन-पत्र या किसी आवेदक द्वारा उपलब्ध जानकारी सम्बन्धी किसी प्रकार के दावे/आपत्ति से सम्बन्धित व्यक्ति, स्थानीय निकाय की शासकीय वेबसाइट पर प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर नोडल अधिकारी को अपना / अपनी दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। स्थानीय निकाय अपने अधिकारी/स्टाफ के माध्यम से भी या किसी अन्य प्रकार से पट्टी विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किये गए आवेदन पत्र में उसके द्वारा दिये गए विवरण को भी सत्यापित कर सकता है। नोडल अधिकारी आपत्ति या दावे की प्राप्ति या स्थानीय निकाय से किसी प्रकार की प्रतिकूल जानकारी प्राप्त करने के उपरांत 30 दिन की अवधि के भीतर मामले सम्बन्धी कोई निर्णय लेगा।</p>
(1.1.22)	<p>स्थानीय निकाय दावे/आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए फार्म, शुल्क तथा प्रतिभूति राशि निर्धारित कर सकता है, जो प्रत्येक आवेदन के लिए 100 रुपये से अधिक नहीं होगी। यह बैंक ड्राफ्ट या चालान रसीद या नकदी रसीद, जैसी भी स्थिति हो, के माध्यम से देय है।</p>

(1.123)	किसी पट्टी विक्रेता का पंजीकरण ही उसे पट्टी लगाने या फेरी लगाने के लिए किसी प्रकार का अधिकार नहीं देगा। स्थानीय निकाय के साथ परामर्श करके नगर पट्टी विक्रेता समिति द्वारा पट्टी लगाने/फेरी लगाने का अनुमति पत्र/प्रमाण पत्र, योजना, मानक योजना, क्षेत्र में स्थान/स्थल/धारण क्षमता की उपलब्धता पर निर्भर है। केवल पट्टी विक्रेता प्रमाण-पत्र धारकों को ही पट्टी लगाने का अधिकार होगा।
1.2	सर्वेक्षण के अन्तर्गत पता लगाए गए पट्टी विक्रेताओं को पट्टी विक्रेता प्रमाण-पत्र जारी करने की समय-सीमा
1.2.1	सर्वेक्षण पूरा होते ही और सर्वेक्षण की छः माह की अवधि भीतर पट्टी विक्रेता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस योजना के प्रावधान, मानक, योजना, क्षेत्र के भीतर स्थान/स्थल की उपलब्धता और धारण करने की क्षमता पर निर्भर है।
<b>अध्याय - 2</b>	
2.1	दो सर्वेक्षणों के बीच की अवधि के दौरान पट्टी लगाने के लिए इच्छुक व्यक्तियों सहित किसी पट्टी विक्रेता को किन-किन शर्तों के अधीन पट्टी विक्रेता प्रमाण जारी होगा, ये निम्न प्रकार हैं:
2.1.1	पैरा 1.1.15 में उल्लिखित शर्तों और इसमें उल्लिखित निम्न शर्तों को पूरा करने पर-
2.1.2	पट्टी विक्रेता प्रमाण पत्र केवल पंजीकृत पट्टी विक्रेता व्यक्ति के नाम जारी किया जाएगा और यह केवल पंजीकृत पट्टी विक्रेता की निःशक्ता, विधिपता की स्थिति एवं निधन की स्थिति को छोड़कर अहस्तान्तरणीय होगा।
2.1.3	पट्टी / फेरी लगाने का समय सूर्यास्त से सूर्यास्त के बीच या पट्टी लगाने के क्षेत्र/जोनों की अधिसूचना द्वारा समय-समय पर नगर पट्टी विक्रेता समिति / स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट/निर्धारित होगा।
2.1.4	स्थल पर किसी प्रकार का कोई भी अस्थाई/स्थाई संरचना/निर्माण अनुमत्त नहीं है। यह अपना सारा सामान निश्चित स्थान के भीतर रखेगा/रखेगी। संरचना में किसी प्रकार का बढ़ाव/छज्जा/विस्तार पट्टी स्थल से बाहर नहीं होगा तथा पट्टी विक्रेता छाता/शेड का प्रयोग कर सकते हैं, जो स्थाई रूप से भूमि या दीवार के साथ नहीं लगते हैं।
2.1.5	पंजीकृत पट्टी विक्रेता इस आशय की वचनबद्धता/प्रतिज्ञा करेगा कि: क. वह स्वयं या अपने पति/अपनी पत्नी या आश्रित बच्चों के माध्यम से पट्टी विक्रय का कारोबार करेगा/करेगी। ख. उसकी आजीविका का कोई और साधन नहीं है। ग. वह किसी प्रकार से, चाहे जो भी हो, जिसमें पट्टी विक्रेता का प्रमाण-पत्र का भाड़ा या सहित पट्टा या इसमें विनिर्दिष्ट स्थान का किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण नहीं करेगा/करेगी। घ. वह किसी छूत/संकामक रोग से पीड़ित नहीं है। ङ. वह पट्टी बाजार लगाने के समय के बाद पट्टी स्थल पर साज सामान और वस्तुओं को नहीं छोड़ेगा/छोड़ेगी। पट्टी पर बिक्री समाप्त होने के बाद पट्टी विक्रेता सभी वस्तुएं, स्टैण्ड, तख्त, स्थापनाएं हटाकर ले जाएगा और अपने पट्टी स्थल में या आसपास सारा कूड़ा कर्कट साफ करेगा और पट्टी स्थल से सभी बाधाओं को हटा देगा। च. पट्टी स्थल/जोन तथा समीपवर्ती क्षेत्र पर सफाई एवं सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखेगा/रखेगी। छ. वह समय-समय पर स्थानीय निकाय या सरकार द्वारा यथा निर्धारित नागरिक सुख सुविधाओं के आवधिक प्रमारों का वह भुगतान करेगा/करेगी। ज. गैर पट्टी जोन में या अनुमत्त दिन या समय के अतिरिक्त किसी प्रकार का पट्टी कारोबार नहीं करेगा।
2.1.6	पट्टी विक्रेता प्रमाण पत्र धारी पंजीकृत पट्टी विक्रेता खण्ड 4.13 में
	यथा उल्लिखित इस योजना के अन्तर्गत पट्टी लगाने के मासिक शुल्क का भुगतान करेगा और समय-समय पर विनिर्दिष्ट पट्टी जोन के अनुसार नगर पट्टी विक्रेता समिति के साथ परामर्श करके स्थानीय निकाय द्वारा और बढ़ाया/निर्धारित किया जा सकेगा और उसके द्वारा इसके रखरखाव प्रभार बढ़ाए/निर्धारित किए जा सकेंगे। पट्टी जोन के लिये निर्धारित शुल्क और रख रखाव प्रभार कम से कम 10 प्रतिशत बढ़ोतरी सहित प्रत्येक तीन वर्ष के लिए संशोधित किए जा सकेंगे।
2.1.7.	पट्टी विक्रेता प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आवश्यक निर्धारित शुल्क का या स्थानीय निकाय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करेगा। शुल्क भुगतान में विलम्ब होने पर योजना में विनिर्दिष्ट अर्धदण्ड या समय-समय पर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथानिर्णित अर्धदण्ड देने का भागी होगा।
2.1.8	किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान पट्टी विक्रय कारोबार करने की अक्षमता, चाहे किसी भी कारण हो, भुगतान न करने का आधार नहीं होगा अथवा पट्टी लगाने के मासिक लाइसेंस शुल्क के न भुगतान करने या छूट पाने का आधार नहीं होगा।

2.1.9	कोई भी पटरी विक्रेता, किसी भी प्रकार से, चाहे जो भी हो, किसी अन्य व्यक्ति को भाड़े सहित पटरी विक्रेता प्रमाण-पत्र का हस्तांतरण नहीं करेगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र/पटरी विक्रेता प्रमाण-पत्र किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से पट्टे पर/भाड़े पर नहीं दे सकेगा। किन्हीं भी परिस्थितियों में पटरी विक्रेता पटरी-स्थल को भाड़े पर नहीं देगा।
2.1.10	जनहित का मामला उत्पन्न होने की स्थिति में प्रतिबन्धित करने, खाली करने और पुनः बसाने का अधिकार स्थानीय प्राधिकरण/नगर पटरी विक्रेता समिति में निहित होगा। जनहित के लिये यदि आवश्यक हो, तो नोटिस जारी होने के बाद पटरी विक्रेता स्थल को शीघ्र खाली करेगा।
2.1.11	स्वास्थ्य के कारण या अन्य कारण लाइसेंसधारी की निःशक्ता की स्थिति में पटरी विक्रेता समिति/स्थानीय प्राधिकरण/पदानामित अधिकारी द्वारा विचारणीय होगा। इसकी सूचना 30 दिन के भीतर नगर पटरी विक्रेता समिति को दी जाएगी, जो, पटरी विक्रेता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित पटरी विक्रेता स्थल से बिक्री करने के लिये आवेदन पत्र में उल्लिखित पटरी विक्रेता के घर के किसी व्यस्क सदस्य, पति/पत्नी या आश्रित बच्चे को, जो 18 वर्ष का हो चुका हो, अनुमति दे सकती है।
2.1.12	पंजीकृत पटरी विक्रेता की मृत्यु या निःशक्ता की स्थिति में कानूनी वारिस नोडल अधिकारी, स्थानीय निकाय को या पटरी विक्रेता प्रमाण-पत्र पंजीकरण कानूनी वारिसों के नाम अन्तरण हेतु जारी कराने के लिये आवेदन कर सकता है शर्त यह है कि उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। यदि पटरी विक्रेता प्रमाण-पत्र हस्तांतरण करने के लिये अनुमत्त है, तो पटरी विक्रेता प्रमाण-पत्र की सम्पत्ति की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2.1.13	जिस पटरी विक्रेता को पहले ही किसी प्रकार का पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र दिया जा चुका है और उसने विक्रेता स्थल पर किसी प्रकार का अस्थाई या स्थाई संरचना खड़ी कर ली है, उसे योजना के अन्तर्गत तब तक पटरी विक्रेता प्रमाण नहीं जारी किया जाएगा, जब तक उसके द्वारा पटरी स्थल पर खड़े किए गए अस्थाई/स्थाई ढांचे को वह हटाता/नष्ट नहीं करता है।
2.1.14	पटरी विक्रेता सही पटरी स्थल पर अपना पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र प्रदर्शित करेगा और उसके पास स्थानीय निकाय द्वारा जारी कोई अन्य पत्र/बीयोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड मूल रूप में सदैव होना चाहिए और उसके पास पटरी/फंशे लगाने समय मासिक शुल्क के भुगतान के प्रमाण सदैव रहने चाहिए।
2.1.15	पटरी विक्रेता गली और अपने पटरी स्थल के निकट परिसर को साफ सुधारा रखेगा। वह अपने ग्राहकों/अन्य जनता द्वारा फैलाए गए कूड़ा कर्कट को इकट्ठा करने के प्रयोजनार्थ अपने पटरी स्थल के निकट कूड़ादान लगाकर रखेगा। वह समय-समय पर स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित स्थानों पर लगाए कूड़ादान को साफ करेगा।
2.1.16	पटरी विक्रेता पटरी जोन/पटरी विक्रेता मार्केट और समीपवर्ती क्षेत्र में जन स्वास्थ्य एवं साफ सफाई के प्रति यथोचित ध्यान देगा। वह पटरी जोन क्षेत्र में कूड़ा कर्कट को एक साथ निपटाने को बढ़ावा देने के लिए योगदान करेगा। पटरी लगाने वाला किसी भी प्रकार के कूड़ा कर्कट को नाले, सड़क के किनारे, खुले स्थान या किसी अन्य अनधिकृत स्थान पर नहीं डालेगा।
2.1.17	खोमचा/पटरी लगाने वाला व्यक्ति सार्वजनिक मूमि पर अनधिकृत कब्जा नहीं करेगा और अनुमत्त क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र में उसको विस्तार नहीं करेगा। पटरी विक्रेता स्थल का क्षेत्रफल 6 x 4 फुट होगा और स्थल की ऊंचाई 3 फुट से अधिक नहीं होगी। खुले आकाश के नीचे पटरी लगाई जाएगी और किसी प्रकार की स्थाई या अस्थाई संरचना अनुमत्त नहीं होगी। पटरी विक्रेता अपना सारा साज-सामान आबटित स्थल के भीतर रखेगा। पटरी स्थल से बाहर किसी प्रकार का छज्जा या विस्तार नहीं होगा।
2.1.18	पटरी विक्रेता किसी प्रकार से पैदल पथिकों के लिए और यातायात के निर्बाध आवागमन में बाधा नहीं डालेगा। पटरी विक्रेता सड़क/गली, यदि पटरी कारोबार किसी गली से किया जा रहा है, तो किनारों पर पटरी कारोबार करेगा और यातायात या पैदल पथिकों या गैर मोटरीकृत वाहनों के सुचारु आवागमन में किसी प्रकार का बाधा नहीं डलवाएगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके ग्राहक उसके पटरी कारोबार स्थल के निकट अवैध पार्किंग नहीं करें।
2.1.19	पटरी कारोबार विक्रेता आपत्तिजनक खतरनाक एवं प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों को नहीं बेचेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्पाद की गुणवत्ता एवं जनता को उपलब्ध कराई गई सुविधा निर्धारित जन स्वास्थ्य, सफाई और सुरक्षा/संरक्षा के मानकों के अनुरूप हो।
2.1.20	पटरी विक्रेता जनता या ग्राहकों को आकर्षित करने के लिये किसी प्रकार का शोर शराबा या किसी वाद्य यंत्र का वादन या संगीत का गायन नहीं करेगा।
2.1.21	पटरी विक्रेता किसी प्रकार की अनधिकृत/अवैध गतिविधि नहीं चलाएगा।
2.1.22	पटरी विक्रेता सुरक्षा कारणों के आधार पर आपत्तिक स्थिति में स्थल को खाली कर देगा।
2.1.23	पटरी विक्रेता सार्वजनिक सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएगा। पटरी विक्रेता पटरी कारोबार के दौरान लापरवाही के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक सम्पत्ति को पहुंचाई गई क्षति, यदि कोई हो, को, अपने खर्च से

	मरम्मत करावाएगा। स्थानीय प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा और पटरी विक्रेता के लिये बाध्यकारी होगा और क्षतिपूर्ति की राशि का उसके द्वारा भुगतान किया जाएगा।
2.1.24	कुकिंग अनुमत्त नहीं होगी। खाद्य पदार्थ, पके पकाए पकवान भी शामिल हैं, बेचने वाले पटरी विक्रेताओं को स्थानीय प्राधिकरण के सभी लाइसेंस विनियमों तथा खाद्य सुरक्षा रोकथाम एवं मानक अधिनियम, 2006 के उपबन्ध, खाद्य सुरक्षा उपबन्धों का अवश्य पालन करेंगे।
2.1.25	किसी प्रकार का बिजली/पानी कन्क्शन अनुमत्त नहीं है। पटरी विक्रेता किसी प्रकार की बाधा तथा शोर शराबे के बिना पटरी विक्रय परिसर को प्रकाशमान करने के लिये रिन्यूवल/बैटरी संचालित तरीकों को अपना सकता है।
2.1.26	पटरी विक्रेता किसी स्थान को कब्जा या बंद नहीं करेगा, जो पटरी लगाने के लिये प्रतिबन्धित है। चलता फिरता फेरीवाला अपने फेरी जोन/पटरी लगाने के भीतर किसी स्थान पर 30 मिनट से अधिक अवधि के लिए खड़ा नहीं होगा। पटरी विक्रेता गैर पटरी जोन में खड़ा नहीं होगा या पटरी पर बिक्री नहीं करेगा।
2.1.27	पटरी विक्रेता फुटपाथ को अवरुद्ध नहीं करेगा और सड़क पर पटरी कारोबार नहीं करेगा। पटरी पटल/स्टाल के सामने फुटपाथ पर दो मीटर चौड़ा रास्ता होना चाहिए।
2.1.28	यदि पटरी विक्रेता द्वारा प्रमाण पत्र गलत बताकर या धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है, तो पटरी विक्रेता प्रमाणपत्र अधिनियम/नियमावली, योजना में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर रद्द किया जाएगा।
2.1.29	लगातार तीन माह के लिये निधारित लाइसेंस शुल्क के न भुगतान करने पर रद्द किया जाएगा। लगातार दो माह की अवधि तक लाइसेंस शुल्क के न भुगतान करने की स्थिति में पटरी कारोबार करने की अनुमति नहीं होगी।
2.1.30	पटरी पर विक्रय करने के अनुमति पत्र के रद्द/समाप्त होने पर पटरी विक्रेता शान्तिपूर्वक पटरी स्थल को खाली करके तत्काल स्थानीय प्राधिकरण को सौंप देगा।
<b>अध्याय - 3</b>	
3.1	किसी पटरी विक्रेता को जारी किये जाने वाले पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र का फार्म और पद्धति
(3.1.1)	'ख' परिशिष्ट के अनुसार फार्म में पटरी विक्रेता को पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
(3.1.2)	पटरी विक्रेता, को, आवेदन-पत्र में उसके द्वारा घोषित आवासीय पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र भेजा जाएगा।
3.2	पटरी विक्रेताओं को पहचान पत्र जारी करने का फार्म और पद्धति:
(3.2.1)	पंजीकरण होने पर, जिन पात्र व्यक्तियों को पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है, उन्हें पटरी विक्रेता पहचान पत्र या इस प्रकार का बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। जिस पर विशिष्ट पहचान वाला आईडी बारकोड या इस प्रकार का बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड, पंजीकरण तिथि, पटरी विक्रेता का नाम, पता, पटरी विक्रेता की श्रेणी, पटरी विक्रेता का फोटोग्राफ, व्यवसाय का स्वरूप, नामिती का नाम, आश्रित बच्चे का नाम, पटरी लगाने के स्थान का उल्लेख होगा। पहचान पत्र, पटरी विक्रेता पहचान पत्र के अनुमोदन होने के 15 दिन के भीतर 100 रुपये का भुगतान करने पर पहचान पत्र परिशिष्ट 'ग' के प्रपत्र में जारी किया जाएगा।
(3.2.2)	पहचान पत्र/बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड की क्षति/हानि के बारे में 30 दिन की अवधि के भीतर नोडल अधिकारी को पटरी विक्रेता द्वारा सूचित किया जाएगा। पटरी विक्रेता डुप्लीकेट पहचान पत्र/स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिये आवेदन पत्र नोडल अधिकारी को 200/-रुपये के शुल्क सहित प्रस्तुत करेगा और आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर डुप्लीकेट पहचान पत्र/स्मार्ट कार्ड जारी किया जा सकेगा। पहचान पत्र क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में भी वही शर्तें लागू होंगी। पहचान पत्र खो जाने पर स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए। स्थानीय प्राधिकरण के पास डुप्लीकेट पहचान-पत्र जारी करने के लिये आवेदन पत्र के साथ क्षतिग्रस्त पहचान पत्र जमा किया जाएगा।
(3.2.3)	सर्वेक्षण के दौरान वर्तमान एवं स्थाई पते को प्रमाण सम्बन्धी मूल प्रलेख भी सत्यापित किए जा सकेंगे।
(3.2.4)	स्थानीय निकायों द्वारा सभी पंजीकृत पटरी विक्रेताओं का विवरण डाटा बेस रखा जाएगा, पटरी विक्रय के दावों के डुप्लीकेशन का पता लगाने के लिए अन्य स्थानीय निकायों के डाटाबेस से किसी पटरी विक्रेता का विवरण को सत्यापित करने में मदद मिल सकती है और यदि वह पहले ही किसी लाभग्राही योजना/सर्वेक्षण के अन्तर्गत आता है।
3.3	पटरी विक्रेताओं को पटरी लगाने हेतु प्रमाण पत्र जारी करने का मानदण्ड:
(3.3.1)	यदि किसी पंजीकृत पटरी विक्रेता के पास अन्य स्थानीय निकाय का ऐसा प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसे पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
(3.3.2)	पटरी स्थल का आबंटन प्रतिबन्ध मुक्त पटरी विक्रय जोन का सीमांकन होगा प्रतिबन्धित/पटरी रहित जोन टाइम शेरिंग आधार पर उपलब्ध स्थान और धारण क्षमता पर निर्भर करेगा।

(3.3.3)	यदि आवेदकों की संख्या पटरी स्थलों/स्थानों की उपलब्ध संख्या से अधिक है, तो आबंटन लाटरी निकाल कर/कम्प्यूटर में लाटरी निकालने के आधार पर या इस प्रकार के किसी मेकेनिज्म से किया जाएगा। पंजीकृत पटरी विक्रेताओं के बीच में पटरी का आबंटन पटरी विक्रेता स्थल अनुसार किया जाएगा।
(3.3.4)	निःशक्त व्यक्तियों और महिलाओं का (क्रमशः 3 प्रतिशत और 30 प्रतिशत तक) की प्राथमिकता दी जाएगी महिलाओं के बीच में विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
(3.3.5)	जिन्हें सर्वेक्षण की पहचान करके पंजीकृत किया गया है, उन्हें नये की तुलना में प्राथमिकता दी जाए।
(3.3.6)	जिन पटरी विक्रेताओं को उनकी पहली पसंद के अनुसार पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सका है या उन्हें एक साथ न जारी होने को रोकने हेतु प्राथमिकता के कमानुसार स्थानों की उपलब्धता पर अन्य पसन्दों की प्राथमिकता के आधार पर पटरी स्थान दिया जाएगा।
(3.3.7)	किसी परिवार के एक सदस्य से अधिक सदस्य को पटरी विक्रेता प्रमाणपत्र न दिया जाए।
(3.3.8)	त्यौहार के मौसम/मेला आदि के दौरान किसी अस्थाई अवधि के लिए पटरी कारोबार चलाने के लिये आवेदक स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित ऐसे फार्म में कम से कम एक माह पहले, आंचलिक नोडल अधिकारी को आवेदन करेगा। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक शुल्क लगा होना चाहिए।
(3.3.9)	जिस क्षेत्र/गली में अस्थाई पटरी लगानी है, वह अस्थाई पटरी लगाने के लिये स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित/ अधिसूचित की जा चुकी हो।
(3.3.10)	प्रतिबन्धित पटरी कारोबार रहित जोन के रूप में पटरी विक्रेता जोन का सीमांकन नगर पटरी विक्रेता समिति के साथ परामर्श करके स्थानीय निकाय द्वारा किया जाएगा और फेरीवाले/पटरी विक्रेता अंचल की धारणक्षमता की पहचान करेगा।
(3.3.11)	पटरी विक्रेता/पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र का पंजीकरण सर्वेक्षण की तिथि से अधिकतम 9 वर्ष तक के लिए होगा।
(3.3.12)	भविष्य में पटरी विक्रेता स्थलों की उपलब्धता के आधार पर असफल पात्र आवेदकों की प्रतीक्षा सूची विचारार्थ बनाई जाएगी।

## अध्याय - 4

4.1	पटरी विक्रेता कारोबार का श्रेणी के आधार पर पटरी विक्रेता शुल्क भिन्न-भिन्न अंचलों के लिए अलग-अलग होगा:			
(4.1.1)	पटरी विक्रेता मासिक आधार पर पटरी शुल्क का भुगतान करके सम्बद्ध अंचल/क्षेत्र के सीएसबी काउण्टर पर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक एडवांस में पटरी शुल्क जमा करेगा और यदि माह की 10 तारीख को कोई सार्वजनिक छुट्टी है, तो अगले कार्यदिवस को जमा करेगा।			
(4.1.2)	विलम्ब के लिये 20 रुपये प्रतिदिन की दर से या विनिर्दिष्ट पटरी जोन के अनुसार स्थानीय निकाय द्वारा यथानिर्धारित अर्धदण्ड वसूल किया जाएगा। यदि विलम्ब तीन माह से अधिक है, तो पटरी विक्रेता का पंजीकरण कारण बताओं नोटिस जारी होने के बाद रद्द किया जाएगा।			
(4.1.3)	स्थानीय निकाय सम्पत्ति कर के वर्गीकरण के अनुसार पटरी क्षेत्र को वर्गीकृत कर सकते हैं और मासिक पटरी शुल्क निम्न प्रकार निश्चित कर सकते हैं:-			
	<b>पटरी शुल्क (रुपये प्रतिमाह)</b>			
				अन्य विक्रेता
श्रेणी	स्थाई पटरी वाले	चलते फिरते पटरी वाले		अस्थाई पटरी विक्रेता (त्यौहार/अवसर)
		चलते फिरते पटरी वाले विक्रेता	घूमन्तु भ्रमणशील पटरी वाले	
क	5000	2500	750	2500
ख	4000	2000	750	2000
ग	3000	1500	750	1500
घ	2500	1250	600	1250
ङ	500	750	300	1000
च	400	750	250	750
छ	300	500	200	500
ज	200	300	150	300

(4.1.4)	कालोनी/क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों में पटरी कारोबार कर रहे पटरी विक्रेताओं को स्थानीय निकाय द्वारा परिभाषित श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा।
(4.1.5)	दूसरे स्थान पर चले जाने की स्थिति में पटरी विक्रेता को पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र की शेष अवधि के दौरान उसकी कालोनी की श्रेणी के अनुसार नये स्थल/स्थान का शुल्क का भुगतान करना होगा।
(4.1.6)	स्थानीय प्राधिकरण को समय-समय पर पटरी विक्रेता शुल्क में वृद्धि करने में, विशेष क्षेत्र के लिये विशेष पटरी विक्रेता शुल्क निर्धारित करने की शक्ति, जो नगर पटरी विक्रेता समिति के साथ परामर्श करने के उपरांत सूचित की जाएगी। यदि पटरी विक्रेता की पैरा 4.1.3. में निश्चित श्रेणी की उपरी सीमा बढ़ाई जानी है, तो सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।
(4.1.7)	निःशक्तता वाले पटरी विक्रेताओं और महिला पटरी विक्रेता की स्थिति में 25 प्रतिशत की छूट अनुमत्त होगी।
(4.1.8)	पटरी विक्रेता शुल्क की बकाया राशि की वसूली : यदि कोई पटरी विक्रेता देय तिथि तक शुल्क भुगतान करने में विफल रहता है, तो सम्बन्धित प्राधिकरण निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार पटरी विक्रेता शुल्क की वसूली की कार्रवाई करेगा: (क) सम्बद्ध स्थानीय निकाय द्वारा यथा पदनामित/निर्धारित अधिकारी/नोडल अधिकारी द्वारा मांग का नोटिस पटरी विक्रेता को तामील कर सकता है। यह नोटिस पटरी विक्रेता शुल्क तथा नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि तक विलम्ब प्रभार के लिये तामील किया जा सकता है या विफलता के पर्याप्त कारण बताने के लिये किया जा सकता है। (ख) यदि पटरी विक्रेता पर्याप्त कारण बताने में विफल रहता है, तो नोडल अधिकारी कारण की सारांश जांच करेगा और नगर पटरी विक्रेता समिति को सूचना देकर तदनुसार कार्रवाई करेगा। (ग) नोडल अधिकारी कार्रवाई कर सकता है जिसमें इसके साथ-साथ यह भी शामिल है वस्तुएं/साज सामान और अन्य मदों को जब्त करना, जब्त की गई वस्तुएं, यदि कोई हों, को छोड़ना, कार्यवाहियां आदि को रद्द करने की सूचना।
4.2	बैंको के माध्यम से, स्थानीय प्राधिकरण के पंजीकरण के लिये पटरी विक्रेता शुल्क, रख-रखाव प्रभार और अर्थदण्ड को संग्रह, चलते फिरते स्टॉलों के लिये पार्किंग स्थान का प्रयोग तथा नागरिक सेवाएं प्रदान करने का शुल्क काउण्टरों तथा नगर पटरी विक्रेता समिति के काउण्टरों के माध्यम से होगी:
(4.2.1)	शुल्क एकत्रित करने के लिये बैंक पदनामित किए जा सकेंगे, जो शुल्क बाद में स्थानीय निकायों को अन्तरित कर देंगे।
(4.2.2)	पटरी विक्रेता शुल्क स्थानीय निकाय के निर्धारित स्थानों पर भी देय होगा।
(4.2.3)	जब कभी आवश्यक हो, तब स्थानीय निकाय वैकल्पिक प्रबन्ध कर सकता है।
4.3	पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि:
(4.3.1)	पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि प्रारम्भ में जारी होने की तिथि से तीन वर्ष के लिये होगी। इसके बाद यह प्रत्येक तीन वर्ष में नवीनीकृत होगी। पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र की कुल अवधि 9 (नौ) वर्ष होगी, जिनमें नवीनीकृत अवधि भी सम्मिलित है, यह अधिनियम /नियमावली के उल्लंघन, योजना के उपबन्धों के उल्लंघन की शर्तधीन होगा। कानूनी वारिसों को पटरी विक्रेता प्रमाण-पत्र के अन्तरित करने को एक नया सीओवी नहीं माना जाएगा और अधिकतम वैधता अवधि मूल पटरी विक्रेता को प्रारम्भ में जारी प्रमाण-पत्र की तिथि से 9 वर्ष के लिए होगी।
4.4	पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र कितनी अवधि के लिये हो सकता है और कौन सी पद्धति से पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र नवीनीकृत हो सकता है और ऐसे नवीनीकरण के लिये शुल्क:
(4.4.1)	पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र जारी होने की प्रारम्भिक तिथि से 3 (तीन) वर्ष के लिए होगा। नवीनी योग्य अवधि सहित लाइसेंस की कुल वैधता अवधि 9 (नौ) वर्ष होगी।
(4.4.2)	पंजीकृत पटरी विक्रेता अपने पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र की समाप्ति से कम से कम तीन माह पहले पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिये नगर पटरी विक्रेता समिति (टीवीसी)/स्थानीय निकाय से आवेदन करेगा।
(4.4.3)	नगर पटरी विक्रेता समिति/स्थानीय निकाय का पदनामित अधिकारी पावती के अन्तर्गत नवीनीकृत के लिये पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा और पटरी विक्रेता को रसीद देगा।
(4.4.4)	नोडल/पदनामित अधिकारी द्वारा पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र के ऊपर पुष्टि करके नवीनीकरण किया जाएगा और नवीनीकृत पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र पटरी विक्रेता को स्वयं सौंपा जाएगा और आवेदन पत्र में उल्लिखित आवासीय पते पर भेजा जाएगा।
(4.4.5)	पटरी विक्रेता द्वारा देय नवीनीकरण शुल्क क्षेत्र/अंचल/जोन के लिए निर्धारित एक माह के शुल्क के बराबर होगा, जो यह नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के समय देय है।
(4.4.6)	किसी पटरी विक्रेता का स्थाई स्थल/मोबाइल स्थल के लिए जारी सीओवी का एक बार में तीन वर्ष के लिए नवीनीकरण होगा।

(4.4.7)	नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्र या किसी आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी सम्बन्धी कोई दावा/आपत्ति करने वाला कोई व्यक्ति पटरी विक्रेता प्रमाण-पत्र जारी कराने हेतु आवेदन पत्र की तिथि से 30 दिन के भीतर नोडल अधिकारी को अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नगर पटरी विक्रेता समिति अपने स्टाफ के माध्यम से या किसी अन्य साधन के माध्यम से किसी भी समय प्राप्त किसी आवेदन पत्र को सत्यापित कर सकती है। पटरी विक्रेता प्रमाण-पत्र नवीनीकृत करने से पूर्व प्राप्त उक्त दावे/आपत्तियों पर किसी भी समय विचार किया जाएगा और पटरी विक्रेता प्रमाण-पत्र नवीनीकृत होने से पहले निर्णित किया जाएगा।
<b>अध्याय - 5</b>	
5.1	पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र को लम्बित करने या रद्द करने का तरीका :
(5.1.1)	पदनामित अधिकारी अन्य आधारों के साथ-साथ निम्नलिखित आधार पर पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र लम्बित या रद्द कर सकता है:- I पटरी विक्रेता स्थल का अनधिकृत रूप से परिवर्तन II देनदारियों का न भुगतान करना III छूत के रोग से पीड़ित पाए गए पटरी विक्रेता IV पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र प्रदान करने की शर्तों का उल्लंघन V अनुमत्त स्थान के अतिरिक्त पटरी विक्रेता द्वारा स्थल का विस्तार VI अभद्र व्यवहार तथा जो पड़ोसियों के लिये परेशानी खड़ी कर सकता है VII पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र में मिथ्या कथन VIII नैतिक पतन और अन्य शर्तों के उल्लंघन सहित किसी अपराध की दोषसिद्धि
(5.1.2)	निलम्बन या रद्द करने की प्रक्रिया स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा की जाएगी।
(5.1.3)	जहां किसी पटरी विक्रेता को अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण तथा/अथवा पटरी विक्रेता प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, वह इसकी किसी शर्त का उल्लंघन करता है या अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाई किसी नियमावली या योजनाओं के अन्तर्गत पटरी विक्रेता विनियमन के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है या यह जानकारी में आता है कि ऐसा पंजीकरण तथा/अथवा पटरी विक्रेता प्रमाण-पत्र गलत बताकर या धोखाधड़ी से पटरी विक्रेता द्वारा प्राप्त किया गया है या लगातार तीन माह के लिये पटरी लगाने हेतु शुल्क भुगतान नहीं किया या नैतिक पतन सहित किसी फौजदारी अपराध की सिद्धि होने पर नोडल अधिकारी पटरी विक्रेता प्रमाण-पत्र रद्द करने से पूर्व प्रारम्भिक जांच करेंगे।
(5.1.4)	प्रारम्भिक जांच सारांश कार्यवाहियां होगी, प्रारम्भिक जांच, के बाद यदि यह पाया जाता है कि प्रथम दृष्टया उल्लंघन, मिथ्याभ्यावेदन, धोखाधड़ी, शर्तों का उल्लंघन हुआ है, तो नोडल अधिकारी पंजीकरण तथा पटरी विक्रेता प्रमाण-पत्र लम्बित या रद्द कर सकता है और और नगर पटरी विक्रेता की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
(5.1.5)	नगर पटरी विक्रेता समिति नोडल अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करेगा तथा पटरी विक्रेता का सुनवाई का एक अवसर देने के बाद रद्दीकरण/लम्बित करने सम्बन्धी निर्णय लेगा अन्यथा पंजीकरण तथा पटरी विक्रेता प्रमाण-पत्र सम्बन्धी निर्णय लेगा।
(5.1.6)	छोटे-छोटे उल्लंघन करने की स्थिति में नोडल अधिकारी 2000 रुपये तक का अर्थदण्ड लगा सकता है और ऐसे उल्लंघन को विनियमित करने के लिये यथावश्यक अवधि के लिये पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र के रद्दीकरण अथवा निलम्बन की संस्तुति करने के बजाय चेतावनी जारी करेंगे।
<b>अध्याय - 6</b>	
6.1	पटरी विक्रेताओं की श्रेणियां:
6.1.1	पटरी विक्रेताओं की अलग से निम्नलिखित श्रेणियां होंगी:- 1. स्थाई पटरी विक्रेता 2. चलते फिरते फेरीवाले विक्रेता या भ्रमणशील पटरी विक्रेता 3. स्थानीय निकाय द्वारा यथानिर्धारित श्रेणीकृत अन्य दैनिक/साप्ताहिक त्यौहार/सस्ती मार्केट/अस्थाई आदि
6.1.2	स्थायी पटरी विक्रेताओं का अर्थ, जो दिनभर पटरी स्थल/स्थान पर स्थिर संरचना (अस्थाई या स्थाई) के बिना किसी एक ही स्थान से पटरी लगाने का कारोबार करते हैं।
6.1.3	चलते फिरते या घुमन्तु/भ्रमणशील पटरी विक्रेता का अर्थ वे विक्रेता हैं, जो पैदल चलकर पटरी कारोबार करते हैं जिसमें टोकरियां सिर पर उठाकर/अपने कंधे पर लटकाकर कारोबार करने वाले भी आते हैं। चलते फिरते पटरी विक्रेताओं में ऐसे पटरी विक्रेता आते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी वस्तुएं, सेवारं, हथौटेला, बाईसाइकिल मोटरकृत पहिये वाले चलते फिरते युनिटों पर अपना कारोबार करते हैं।

6.1.4	साप्ताहिक बाजार पटरी विक्रेता अर्थात् ऐसे पटरी विक्रेता जो साप्ताहिक बाजार में जाते हैं और साप्ताहिक बाजार में अपना माल/सेवाएं बेचते/देते हैं।
6.1.5	अस्थाई पटरी विक्रेता का अर्थ ऐसे पटरी विक्रेता, जो सामान्यतः गली में पटरी नहीं लगाते हैं परन्तु विशेष अवसरों— त्यौहार एवं मेला जैसे मौसमों में अल्प अवधि के लिये पटरी विक्रेता के रूप में अपना साज़ समान लगाकर बेचते हैं।
6.1.6	रात्रि बाजार पटरी विक्रेता का अर्थ स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान किसी निर्धारित रात्रि बाजार में पटरी बाजार करने वाला कोई पटरी विक्रेता।
6.1.7	'अस्थाई पटरी विक्रेता बाजार' के लिये स्थानीय निकाय पर्याप्त स्थान नियत करेगा। मार्केट/उपयुक्त स्थान पर पटरी विक्रेता मार्केट अर्थात् साप्ताहिक हाट, रेहड़ी मार्केट, रात्रि बाजार, त्यौहार बाजार, खामचा लगाना, खाने का सामान बेचना जिनका अन्य अवसरों पर प्रयोग भिन्न है अर्थात् सार्वजनिक पार्क, प्रदर्शनी मैदान, पार्किंग स्थल आदि पटरी विक्रेता की सेवाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ न हो/जन स्वास्थ्य बनाए रखने की आवश्यकता सुनिश्चित करने हेतु पटरी विक्रेता कारोबार पर प्रतिबन्ध। यदि उपलब्ध स्थान से पटरी विक्रेताओं की संख्या अधिक है तो उन्हें एक समान स्थान बांट-बांट कर दिया जाए। रात्रि के समय निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर वाहनों को खड़ा करने के लिये साज़ समान श्रेणी के लिए चलते फिरते पटरी विक्रेता को पर्याप्त पार्किंग क्षेत्र उपलब्ध कराया जाए।
6.1.8	कोई भी पटरी विक्रेता पटरी विक्रय की एक से अधिक श्रेणी के लिये पटरी विक्रेता प्रमाणपत्र/पंजीकरण जारी कराने का पात्र नहीं होगा।
6.1.9	जो पटरी विक्रेता अपना साज़-सामान पक्की अचल संरचना (सरकार या निजी व्यक्ति द्वारा आबंटित) से बेचना है उस पटरी विक्रेता को पटरी विक्रेता नीति का कोई लाभ उपलब्ध नहीं होगा, जो ऐसी पक्की अचल संरचना (चाहे अस्थाई या स्थाई हो) चाहे प्राधिकृत या अनधिकृत हो, से कारोबार करता है।
6.2	<b>पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राथमिकता देने हेतु व्यक्तियों की अन्य श्रेणियां:</b> पटरी विक्रेता प्रमाणपत्र जारी करने के बारे में प्राथमिकता निम्न श्रेणियों को दी जा सकेगी:
6.2.1	<b>निःशक्त व्यक्ति: सभी श्रेणियों में 3 प्रतिशत पटरी विक्रेता स्थलों का आबंटन</b> उक्त श्रेणी में 3 प्रतिशत का प्राथमिकता आबंटन प्रचलित सम्बद्ध अधिनियम में यथापरिभाषित सक्षम शासकीय चिकित्सा प्राधिकरणों द्वारा जारी अशक्तता प्रमाणपत्र फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करने पर उपलब्ध होगा।
6.2.2	<b>महिला: सभी श्रेणियों में 30 प्रतिशत पटरी विक्रेता स्थल:-</b> प्रत्येक मामले के आधार पर विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
6.3	जिस सार्वजनिक प्रयोजन के लिये किसी पटरी विक्रेता को दूसरे स्थान पर पटरी लगाने दी जाएगी और दूसरे स्थान पर पटरी लगाने की पद्धति:
6.3.1	जिस किसी पटरी विक्रेता को पटरी विक्रेता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है उसे केवल विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत उन्हें हटाकर दूसरे स्थान पर पटरी लगाने दी जाएगी और किसी पटरी विक्रेता अंचल/जोन या इसके भाग को जन हित में सार्वजनिक परियोजना, सुरक्षा समस्याएं, यातायात, भीड़भाड़, महामारी रोग का फैलना और प्राकृतिक आपदा /अन्य स्वास्थ्य कारण जैसे क्षेत्र की सफाई अथवा कोई अन्य वैध कारण।
6.3.2	जहां तक संभव हो, पीड़ित पटरी विक्रेता को उसी पटरी क्षेत्र/जोन या निकटवर्ती पटरी जोन में पटरी लगाने दिया जा सकेगा और वैकल्पिक स्थान पर पटरी स्थल की उपलब्धता के आधार पर पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र में यथाविनिर्दिष्ट उसी प्रकार के पटरी स्थल में पटरी लगाने दिया जा सकेगा।
6.3.3	पटरी विक्रेता प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर पटरी लगाने के लिये पीड़ित पटरी विक्रेता को उसके पत्राचार के पते पर पंजीकृत डाक से नोटिस भेजकर 30 दिन का अवसर दिया जाएगा और नोटिस में उसे उसी जोन या निकटवर्ती पटरी विक्रेता जोन में कम से तीन विकल्प दिये होंगे। यदि पटरी विक्रेता प्रमाणपत्र में यथाविनिर्दिष्ट उसी प्रकार के पटरी स्थल पर तीन वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं हैं, तो पीड़ित पटरी विक्रेता को पटरी विक्रेता स्थल की अन्य श्रेणियां पसन्द करने को दी जा सकेगी। यदि एक पटरी विक्रेता से अधिक पटरी विक्रेता एक ही स्थान को पसन्द करते हैं, तब लाटरी निकाल कर स्थल निर्णित किया जाएगा और वैकल्पिक स्थान दूसरे पटरी विक्रेता को दे दिया जाएगा। लाटरी निकलने पर, जिसे चुना हुआ स्थान नहीं मिलता है।
6.3.4	नोटिस अवधि बीत जाने पर या इससे पहले पटरी विक्रेता उपलब्ध वैकल्पिक स्थानों में से अपनी पसंद के स्थान के लिए नोडल अधिकारी को लिखित में देगा। यदि पटरी विक्रेता लिखित में पसंद देने में विफल रहता है, तो नोडल अधिकारी यथाचित नये पटरी स्थल/स्थान के उल्लेख वाला पुनः स्थापन आदेश जारी करेगा और यथा समय पटरी स्थल खाली करने में विफल रहने पर अधिक उहरने के लिए 250 रुपये तक प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड भी, यदि कोई हो -।
6.4	किसी पटरी विक्रेता से स्थान खाली कराने की पद्धति

6.4.1	जिस पटरी विक्रेता का पटरी विक्रेता प्रमाणपत्र रद्द किया जा चुका है या पुनः स्थापन की स्थिति में जिसकी नोटिस अवाधि समाप्त हो चुकी है या जिसके पास पटरी विक्रेता प्रमाणपत्र नहीं है और ऐसे प्रमाणपत्र के बिना पटरी कारोबार कर रहा है, उसे पटरी स्थल खाली करने और पटरी कारोबार न करने के लिये 15 दिन का नोटिस दिया जा सकता है। जहां पर ऐसा कोई पटरी विक्रेता यातायात, भीड़भाड़ का कारण, कानून व्यवस्था की समस्या बनता पाया गया है और उत्पीड़क और अस्वास्थ्यकर स्थितियां आदि पैदा कर रहा है, वहां कोई ऐसा नोटिस दिया जाना अपेक्षित नहीं है।
6.4.2	<b>पटरी विक्रेता का उत्तर:</b> उसको मौखिक अनुरोध/उत्तर पर विचार किया जाए और कोई निर्णय लिया जाए कि किसी पटरी विक्रेता से पटरी खाली कराई जानी है या नहीं। यदि पटरी को खाली कराने के लिये निर्णय लिया जाता है, तो पटरी विक्रेता को तीन दिन के अन्दर माल/वस्तुएं लेकर स्थान छोड़ने के लिये कहा जाएगा यदि वह पटरी स्थान नहीं छोड़ता है, तो वस्तुएं/माल जब्त करके एक सूची तैयार की जाएगी। इस सूची की एक प्रति पटरी विक्रेता को उसी समय उसी स्थान पर सौंपी जाएगी जिसके विफल रहने पर, उसके पंजीकृत पते पर स्पीड पोस्ट से प्रति भेजी जाएगी। यदि आवश्यक हो, तो पुलिस सहायता ली जाएगी। जब्त की गई वस्तुएं स्थानीय निकाय के भण्डार में जमा की जाएगी और माल निधारित प्रभार वसूल करके संबंधित व्यक्ति के अनुरोध पर छोड़ दी जाएगी।
6.5	किसी पटरी विक्रेता से पटरी खाली कराने के लिये नोटिस देने की पद्धति
6.5.1	पटरी छोड़ने का नोटिस स्थानीय भाषा में देने के लिये प्राथमिकता दी जाए जिसे पटरी विक्रेता सुविधापूर्वक समझ सके और यदि पटरी विक्रेता निरक्षर है, तो पता लगाए गए और नोटिस में उल्लिखित उल्लंघन मौखिक रूप से सूचित किए जा सकेंगे।
6.5.2	यदि पटरी विक्रेता तामील किए गए नोटिस लेने को मना करता है या नोटिस तामील करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, तो नोटिस पटरी विक्रय क्षेत्र के स्पष्ट स्थान पर चिपकाया जाएगा और ऐसा करने पर उसे नोटिस तामील किया गया समझ लिया जाएगा।
6.6	वास्तविक रूप से पटरी स्थल खाली न होने की स्थिति में किसी पटरी विक्रेता से पटरी खाली कराने की पद्धति
6.6.1	पटरी विक्रेता द्वारा नोटिस अवाधि के बीत जाने के बाद पटरी स्थल खाली करने में विफल रहने की स्थिति में, यदि कुछ माल साज सामान, वस्तुएं जब्त करके हटाई गई हैं, जिनमें ठेला, बर्तन और स्टेण्ड और सार्वजनिक स्थल पर पटरी विक्रेता द्वारा खड़ी की गई संरचना भी शामिल है, उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।
6.6.2	पटरी हटाने की कार्रवाई से पहले और बाद में पटरी स्थल के फोटोग्राफ भी लेकर रिपोर्ट नगर पटरी विक्रेता समिति को प्रस्तुत की जाए
6.7	स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वस्तुएं जब्त करने की प्रक्रिया/पद्धति जब्त की गई वस्तुओं की सूची तैयार करना और इसे जारी करने सहित
6.7.1	स्थानीय निकाय के पदनामित अधिकारीगण द्वारा जब्त की गई वस्तुएं/साज सामान का उद्देश्यपरक अनुमान
6.7.2	जब्त की गई वस्तुओं की सूची डुलीकेट में तैयार करके सूची की डुलीकेट प्रति पटरी विक्रेता को जारी की जाएगी। जब्त की गई वस्तुओं की प्रति में कर्मचारी का नाम, उसका पदनाम, कार्यालय का पता और उस परिसर का पता, जहां से वस्तुएं प्राप्त की जा सकेंगी, परिशिष्ट 'घ' के अनुसार जब्त की गयी माल का फार्म
6.8	<b>जब्त की गई वस्तुओं का पटरी विक्रेता द्वारा दावा किए जाने की पद्धति और उसका शुल्क</b>
6.8.1	जब्त की गई वस्तुएं छुड़वाने का अवदेनपत्र, यदि माल नाशवान है, तो उसी दिन प्रस्तुत करने की अनुमति होगी और यदि वस्तुएं/माल नाशवान नहीं है, तो जब्त के 15दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाए। इस अवधि के बाद, जब्त की गई वस्तुओं पर पटरी विक्रेताओं का अधिकार समाप्त हो जाएगा और स्थानीय निकाय अपने अधिकारों के भीतर माल का निपटान या नीलाम करे।
6.8.2	जब्त की गई नाशवान वस्तुएं 24 घंटे के भीतर और जब्त की गई गैर नाशवान वस्तुएं स्थानीय निकाय के पास निर्धारित शुल्क या अर्धदण्ड के भुगतान करने पर पटरी विक्रेता द्वारा किये गए दावे के 3 दिन के भीतर छोड़ दी जाएगी। यदि कोई नाशवान/खाद्य पदार्थ अस्वास्थ्यकर/खराब/सड़ा हुआ पाया जाता है या मानवीय प्रयोग के लिये उपयुक्त नहीं है, तो दावेदार को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति किए बिना स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नष्ट किये जाएंगे।
6.8.3	यदि पटरी विक्रेता द्वारा जब्त की गई नाशवान वस्तुओं का दावा उसी दिन नहीं किया जाता है, तो स्थानीय निकाय जब्त की गई नाशवान वस्तुओं की स्थिति और परिस्थितियों के आधार पर अगले दिन निपटान या नीलाम की जा सकती है या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथानिर्णित तरीके से निपटाई या नीलाम की जा सकती है।
6.8.4	<b>भण्डारण प्रभार</b> जब्त की गई विक्रय सामग्री का दावा करने के लिये निम्नलिखित भण्डारण प्रभार वसूल किए जाएंगे:- भण्डारण प्रभार (रूपये में) 100 ग्राम तक भार(24 घंटे) प्रतिदिन - 250 रूपये 100 किलोग्राम से अधिक प्रतिदिन - 500 रूपये साइकिल को हटाना - 50 रूपये

	स्कूटर / मोटर साइकिल हटाना कार/वैन/जीप हटाना वाणिज्यिक वाहनों/वाणिज्यिक गतिविधियों वाले वाहनों को हटाना	- 300 रुपये - 500 रुपये - 3000 रुपये
	<b>अध्याय - 7</b>	
7.1	<b>नगर पटरी विक्रेता समिति की गतिविधियों का सामाजिक लेखा परीक्षा का फार्म और पद्धति</b>	
7.1.1	नगर पटरी विक्रेता समिति सामाजिक लेखा परीक्षा करने के प्रयोजनार्थ एक अलग सामाजिक लेखा परीक्षा युनिट गठित करेगी। सामाजिक लेखा परीक्षा युनिट में कुशल व्यक्ति, प्रतिष्ठित नागरिक, पटरी विक्रेताओं और मण्डी एसोसिएशनों के प्रतिनिधि और अन्य व्यवसायी हो सकते हैं जिन्हें पटरी विक्रेता और समाज की भलाई के लिए नियोजन किया हो।	
7.1.2	वर्ष में कम से कम एक बार सामाजिक लेखा परीक्षा होगी। स्थानीय निकाय और नगर पटरी विक्रेता समिति द्वारा समय सारणी निश्चित की जाएगी।	
7.1.3	नगर पटरी विक्रेता समिति सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया प्रारम्भ होने से कम से कम एक माह पहले प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी में निम्नलिखित होगी/होंगे:	
	क पटरी विक्रेता के लिये नियोजन एवं योजना	
	ख पटरी विक्रेता का अधिकार-पत्र	
	ग अधिनियम नियमावली एवं योजनाएं लागू करने की स्थिति	
	घ राज्य सरकार और स्थानीय निकाय को प्रस्तुत विवरणों	
	ङ संकल्प और लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नगर पटरी विक्रेता समिति द्वारा आयोजित बैठक के कार्यवृत्त का अभिलेख	
	च पंजीकृत पटरी विक्रेताओं को और जिन्हें पटरी विक्रेता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है उनका विवरण जिन्हें पटरी विक्रेता पंजीकरण मना किया जा चुका है और पटरी विक्रेता की प्रतिक्षा सूची।	
	छ स्थानीय प्राधिकरण के समक्ष की गई अपीलों का अभिलेख	
	ज विवाद समाधान समिति के समक्ष लाई गई सारी शिकायतें/विवादों का अभिलेख	
	झ विवादों का समाधान	
	ञ किसी वर्ष विशेष में कुल कितने पटरी विक्रेताओं को हटाकर दूसरे पटरी स्थल दिये गए और कितने पटरी विक्रेताओं से कुल कितने पटरी स्थल खाली कराए गए कितने पटरी विक्रेताओं की वस्तुएं/माल जब्त किया गया है, उनका अभिलेख।	
	ट प्रतिबन्ध मुक्त/प्रतिबन्धित/पटरी विक्रय कारोबार सहित/समय शेरिंग जॉन, लेखा-परीक्षा, अवधि के दौरान जोड़े गए पटरी विक्रय जॉन मार्केट	
	ठ पूर्ववर्ती सामाजिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, यदि कोई है।	
7.1.4	सामाजिक लेखा परीक्षा युनिट बैठकें आयोजित करके अधिनियम, नियोजन एवं योजना को लागू करने के विभिन्न पक्षों/सम्बन्धी पटरी विक्रेताओं से सामूहिक चर्चा करेगी। सामाजिक लेखा परीक्षा युनिट पटरी विक्रेताओं के सामने आ रहे किसी मामले/सम्बन्धी पटरी विक्रेताओं की लिखित शिकायतों को अभिलेखबद्ध करेगी। लेखा - परीक्षा प्रक्रम के अन्त में सामाजिक लेखा परीक्षा युनिट लिखित में अपना निष्कर्ष दर्ज करेगी।	
7.1.5	सामाजिक लेखा परीक्षा युनिट जनता की एक बैठक आयोजित करेगी जिसमें नगर पटरी विक्रेता समिति के सदस्य और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि उपस्थित होंगे और इसमें पटरी विक्रेता भी भाग लेंगे। सामाजिक लेखा परीक्षा युनिट बैठक में अपना निष्कर्ष पढ़ेगा। पटरी विक्रेता को प्रमाण देने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा और नगर पटरी विक्रेता समिति सामाजिक लेखा परीक्षा में पता लगाए गए प्रत्येक मामले का उत्तर देगी। प्रभावित पक्षकार और जनता को स्पष्टीकरण तथा/अथवा व्याख्या देकर उत्तर दिये जाएं कि क्यों कोई कार्रवाई की गई थी या नहीं की गई।	
7.1.6	स्थानीय निकाय सार्वजनिक नोटिस से सामाजिक लेखा-परीक्षा की जन बैठक का पर्याप्त नोटिस देगा।	
7.1.7	स्थानीय निकाय द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिये बजट नियत किया जायेगा।	
7.2	पटरी विक्रेताओं/सम्बन्धी नगर पटरी विक्रेता समिति, स्थानीय निकाय, नियोजन प्राधिकरण और राज्य नोडल अधिकारी द्वारा उपयुक्त अभिलेख और अन्य प्रलेखों के रखरखाव का तरीका	
7.2.1	निम्नलिखित अद्यतन अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक रूप में या हाथ से या दोनों रूपों में रखा जाएगा: नगर पटरी विक्रेता समिति द्वारा i) पंजीकृत पटरी विक्रेता	

	<p>ii) जारी पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र (विवरण सहित)</p> <p>iii) उन पटरी विक्रेताओं की प्रतीक्षा- सूची, जिन्हें पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया</p> <p>iv) पटरी क्षेत्र की क्षमता सभी पटरी विक्रेता जोनों की सूची Ifgr</p> <p>v) उपलब्ध स्थल/स्थान (स्थानीय निकाय, पटरी विक्रय क्षेत्रवार)</p> <p>vi) बैठक का अभिलेख और कार्यवृत्त</p> <p>vii) नगर पटरी विक्रेता समिति का संकल्प</p> <p>viii) उपस्थिति रजिस्टर</p> <p>ix) पारिश्रमिक रजिस्टर</p> <p>x) रोकड़ बही एवं जनरल रजिस्टर का लेखा बही</p> <p>xi) पंजीकरण एवं पटरी विक्रेता प्रमाणपत्र रद्द करने का अभिलेख</p> <p>xii) सामाजिक लेखा परीक्षा, प्रोमेशनल उपाय और जारुकता अभियान का अभिलेख ।</p> <p>xiii) नगर पटरी विक्रेता समिति के सदस्यों की निजी फाइलें दिल्ली नगर पटरी नियमावली, 2014 के नियम 25 में यथोलिखित सभी अन्य मामले</p> <p><b>स्थानीय निकायों द्वारा:</b></p> <p>i) पंजीकृत पटरी विक्रेता</p> <p>ii) पंजीकरण के लिये मना किए गए आवेदक</p> <p>iii) किए गये सर्वेक्षण का विवरण</p> <p>iv) जारी किए गये पटरी विक्रेता प्रमाणपत्र</p> <p>v) जिन पटरी विक्रेताओं को पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र नहीं जारी किये गये हैं, उनकी प्रतीक्षा सूची</p> <p>vi) गांग और संग्रहण रजिस्टर</p> <p>vii) प्रत्येक पटरी विक्रेता की निजी फाइलें</p> <p>viii) पटरी विक्रेता प्रमाणपत्र का निलम्बन/रद्दीकरण</p> <p>ix) नियमावली, योजनाएं, परिपत्र, संकल्प दिशा निर्देश एवं अनुदेश</p> <p>x) प्रतिबन्ध मुक्त, प्रतिबन्धित पटरी विक्रय रहित जोन की सूची</p> <p>xi) बारी-बारी से पटरी लगाने के जोन का समय</p> <p>xii) पटरी जोन में पटरियां लगाने की क्षमता</p> <p>xiii) शिकायत निवारण समिति के सदस्यों का अभिलेख</p> <p>xiv) नगर पटरी विक्रेता समिति/अन्य समितियों के सारे व्यय का अभिलेख</p>
	<b>अध्याय - 8</b>
8.1	<b>वे शर्तें, जिनके अन्तर्गत निजी स्थानों को प्रतिबन्ध मुक्त क्षेत्र, प्रतिबन्धित विक्रय जोन और पटरी विक्रय रहित जोन के रूप में निर्धारित किया जा सकेगा</b>
8.1.1	जिन निजी स्थानों को भूस्वामी/सम्पत्ति स्वामी/रेजीडेण्ट वेल्फेयर एसोसिएशन जिला केन्द्रों की मार्केट एसोसिएशन जैसी भी स्थिति हो के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार प्रतिबन्धित मुक्त /प्रतिबन्धित /पटरी विक्रय रहित जोन के रूप में पदनामित किये जा सकेंगे और स्थानीय निकाय/एजेंसी और स्थानीय पुलिस/यातायात पुलिस और रेजीडेण्ट वेल्फेयर एसोसिएशन/सामूहिक आवास समिति के अनापत्ति प्रमाणपत्र के अधीन पटरी विक्रेता समिति के संस्तुतियों के आधार, नियत किया जा सकेगा।
8.1.2	सुरक्षा, संरक्षा, यातायात स्थितियां, सामान्य उपद्रव के कारण और निजी स्थानों पर रेजीडेण्ट वेल्फेयर एसोसिएशन /मार्केट एसोसिएशन की मांग पर पटरी लगाने का आधार होगा
8.2	जन स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए पालन किए जाने वाले मानकों सहित पटरी विक्रय की शर्तें जिसमें:
8.2.1.	पटरी विक्रेता पटरी विक्रेता स्थल पर अपने पटरी विक्रेता प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा और सदैव अपने पास बायोमेट्रिक स्मार्ट पहचानपत्र पर रखेगा।
8.2.2	पटरी विक्रेता अपने पटरी विक्रेता स्थल के आसपास गली और परिसर के आसपास के क्षेत्र को साफ-सुथरा रखेगा। पटरी विक्रेता अपने ग्राहकों/अन्य जनता द्वारा कूड़ा कर्कट संग्रह करने के प्रयोजनार्थ अपने पटरी विक्रेता स्थल के आसपास कूड़ादान लगाकर रखेगा। वह समय-समय पर स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट

	निर्धारित स्थल पर कूड़ादान खाली करेगा।
8.2.3	पटरी विक्रेता पटरी विक्रय ज़ोन/पटरी विक्रेता बाज़ार और समीपवर्ती क्षेत्र में जन स्वास्थ्य और साफ-सफाई पर यथोचित ध्यान देगा। वह पटरी विक्रय ज़ोन/क्षेत्र में सामूहिक कूड़ा कर्कट के निपटान को बढ़ावा देने के लिए योगदान करेगा/करेगी। पटरी विक्रेता कूड़ा कर्कट किसी नाले, सड़क के किनारे, खुले इलाके या किसी अन्य अनधिकृत स्थान पर नहीं डालेगा।
8.2.4	वह सारे साज़ समान को इसी स्थान तक सीमित रखेगा। पटरी क्षेत्र से बाहर किसी प्रकार का छज्जा/विस्तार नहीं करेगा।
8.2.5	कोई भी पटरी विक्रेता अपने पटरी विक्रेता स्थल पर किसी प्रकार की पक्की (अस्थाई या स्थाई) संरचना खड़ी नहीं करेगा। वह केवल चल मदों (जैसे छाता, तिरपाल, परदा आदि) लगा सकता है, जो तत्काल हटाये जा सकेंगे।
8.2.6	पटरी विक्रेता सार्वजनिक भूमि पर कब्ज़ा नहीं करेगा और अनुमत्त सीमाओं से बाहर नहीं जाएगा।
8.2.7	पटरी विक्रेता किसी प्रकार से पैदल पथिकों और यातायात के निर्बाध आवागमन में बाधा नहीं डालेगा। पटरी विक्रेता सड़क/गली (यदि पटरी कारोबार किसी गली से किया जाना है) किनारे से कारोबार करेगा और यातायात या पैदल पथिकों या गैर मोटरीकृत वाहनों के निर्बाध आवागमन में किसी प्रकार की बाधा का कारण नहीं बनेगा। वह सुनिश्चित करेगा कि उसके ग्राहक उसके पटरी स्थल के समीप अनधिकृत पार्किंग न करें।
8.2.8	पटरी विक्रेता फेरी/पटरी लगाने के समय का पालन करेगा/करेगी। वह विक्रय समय के बाद पटरी स्थल पर साज़ समान और माल नहीं छोड़ेगा। पटरी कारोबार बंद करने से पहले पटरी विक्रेता अपने पटरी स्थल से या आसपास सारा कूड़ा कर्कट साफ करेगा और सारी वस्तुएं, प्रतिस्थापन, स्टैण्ड, तख्त उखाड़ कर ले जाएगा।
8.2.9	पटरी विक्रेता खतरनाक एवं प्रदूषण फैलाने वाली मर्दें नहीं बेचेगा।
8.2.10	पटरी विक्रेता जनता या ग्राहकों को आकर्षित करने के लिये किसी प्रकार का शोर शराबा, वाद्य यंत्रों का वादन या संगीत का गायन नहीं करेगा।
8.2.11	पटरी विक्रेता किसी प्रकार की अवैध/अनधिकृत गतिविधि नहीं चलाएगा और पटरी विक्रय स्थल पर किसी अनधिकृत पटरी विक्रेता के माध्यम से कोई वस्तु नहीं बेचेगा। वह पटरी स्थल को भाड़े पर नहीं देगा।
8.2.12	यदि पटरी स्थल सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यक है, तो पटरी विक्रेता आपातक स्थिति में सुरक्षा कारणों के आधार पर पटरी खाली कर देगा।
8.2.13	पटरी विक्रेता सरकारी सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएगा। पटरी विक्रेता अपने खर्च से क्षति की तत्काल मरम्मत करेगा कि पटरी विक्रय के दौरान अवहेलना के परिणामस्वरूप सरकारी सम्पत्ति को क्षति, यदि कोई पहुंचाई गई।
8.2.14	पटरी विक्रेता पटरी स्थल पर कुकिंग नहीं करेगा। पके पकाये खाने सहित खाद्य पदार्थ बेचने वाले पटरी विक्रेता को स्थानीय प्राधिकरण के लाइसेंस विनियमों और खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के उपबन्धों को आवश्यक पालन करना चाहिए।
8.2.15	किसी प्रकार का विद्युत/जल संयोजन अनुमत्त नहीं है। पटरी विक्रेता पटरी विक्रय परिसरों को प्रकाशमान करने के लिये रिन्यूवल/बैटरी संचालित साधनों का प्रयोग कर सकता है।
8.2.16	पटरी विक्रेता किसी उस स्थान को नहीं घेरेंगा या बंद नहीं करेगा जो पटरी लगाने के लिये प्रतिबन्धित किया गया है। चलते फिरते पटरी विक्रेता अपने विक्रय क्षेत्र के भीतर किसी स्थान पर 30 मिण्ट से अधिक अवधि के लिये नहीं रुकेगा। पटरी विक्रेता गैर पटरी विक्रय ज़ोन में खड़ा होकर बिक्री नहीं करेगा।
8.2.17	पटरी स्थल के सामने पैदल पथिकों के लिये कम से कम 2 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ेगा।
8.2.18	पटरी विक्रेता स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय का पालन करेगा।
8.2.19	खाद्य पदार्थ बेचने वाला पटरी विक्रेता स्थानीय निकाय के स्वास्थ्य अधिकारी के सम्बद्ध कार्यालय से स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस प्राप्त करेगा।
8.2.20	पटरी विक्रेता नाले, सड़क के किनारे, खुले स्थानों या किसी अन्य अनधिकृतस्थान पर कूड़ा कर्कट नहीं डालेगा।
8.3	टाइम शेरिंग आधार पर विक्रय गतिविधियों को चलाने की पद्धति
8.3.1	नगर पटरी विक्रेता समिति उन विक्रय ज़ोनों की संस्तुति करेगी कि जो किसी विशेष ज़ोन की अधिक मांग के आधार पर टाइम शेरिंग आधार पर अधिसूचति किये जा सकेंगे।
8.3.2	साप्ताहिक बाज़ार/सप्ताह बाज़ार पटरी विक्रेता स्थलों की संख्या के आधार पर पहले आओ पहले पाओ पर चलेगा कि किसी निर्धारित क्षेत्र में उपलब्ध हो सकेंगे और इच्छुक पटरी विक्रेताओं की संख्या पटरी विक्रेता स्थलों पर निर्भर है।
8.3.3	केन्द्रीय व्यापार ज़िले, पटरी विक्रेता मार्केट जैसे क्षेत्रों के बरामदा या पार्किंग स्थल जैसे स्थानों पर नियमित बाज़ार बंद होने के बाद लगाए जा सकेंगे। ऐसे मार्केट किसी रोस्टर आधार पर या पहले आओ पहले पाओ

	आधार पर सम्बद्ध स्थानीय निकाय द्वारा निश्चित किये गये समय पर तथा नगर पटरी विक्रेता समिति और स्थानीय निकाय द्वारा लगाए उपयुक्त प्रतिबन्ध के अधीन चलेंगे।
8.4	प्रतिबन्ध मुक्त पटरी विक्रय जोन, प्रतिबन्धित पटरी विक्रय जोन और पटरी रहित जोन के रूप में पटरी विक्रय जोन के निर्धारण के सिद्धांत
8.4.1	जो स्थान प्राकृतिक बाजार है, उन पर पहले विचार किया जाएगा और उन शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पटरी विक्रेता जोन के रूप में अनुमत्त किए गये हैं, जो स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए हैं। यातायात भीड़भाड़ के मामले और कानून व्यवस्था की समस्याओं के कारण नगर पटरी विक्रेता समिति यातायात पुलिस, स्थानीय पुलिस के अनुसमर्थन से लगाए गए हैं।
8.4.2	जो स्थान परम्परागत रूप में साप्ताहिक बाजार के रूप में भी विचारणीय होंगे और सप्ताह के किसी विशेष दिन/दिनों और समय पर पटरी लगाने के लिये अनुमत्त है और उन शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन जो नगर पटरी विक्रेता समिति के अनुसमर्थन सहित स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जा सकते हैं।
8.4.3	साप्ताहिक बाजार केवल ऐसे दिन/दिनों को लगाए जाएंगे जब मार्केट बंद है या सामान्य बाजार के समय से पहले/बाद में लगाए जाएंगे। ग्रीष्म/सर्दी के महीनों के लिये अलग-अलग समय होगा।
8.4.4	किसी पूजा स्थान, शैक्षिक संस्थान और अस्पताल/रेलवे स्टेशन, पैदल पुल के नीचे 100 मीटर के भीतर कोई भी पटरी स्थल नहीं होना चाहिए।
8.4.5	किसी पटरी विक्रेता को किसी प्रकार के कुकिंग की अनुमति नहीं है, चाहे जो भी हो।
8.4.6	सम्बन्धित स्थानीय निकाय में पटरी विक्रेता नियोजन समिति के रूप में एक उप समिति होगी; स्थानीय निकाय द्वारा पदनामित अधिकारी द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। पटरी विक्रेता नियोजन समिति में निम्नलिखित होंगे:- (क) नगर पटरी विक्रेता समिति के दो सदस्य (ख) स्थानीय निकाय द्वारा पदनामित तीन सदस्य (ग) दिल्ली यातायात पुलिस के प्रतिनिधि (घ) उपयुक्त कार्यालय (राजस्व) के प्रतिनिधि (ङ) अग्निशमन सेवा के प्रतिनिधि (च) मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन के दो सदस्य (छ) स्थानीय निकाय द्वारा पदनामित वीपीसी के संयोजक (ज) दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधि
8.4.7	<b>प्रतिबन्ध मुक्त/प्रतिबन्धित/पटरी रहित क्षेत्र/टाइम शोरिंग आधारित पटरी विक्रेता जोन के घोषणा की पद्धति</b> (क) पटरी विक्रेताओं की कोई पंजीकृत एसोसिएशन किसी गली/भूमि की पटरी विक्रय जोन या किसी साप्ताहिक बाजार के रूप में घोषणा करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। स्थानीय निकाय अपनी पहल पर ऐसा प्रस्ताव बहुत पहले तैयार कर सकता है। प्रस्ताव में उपयुक्त सीमाओं सहित क्षेत्र का स्थल मानचित्र, पटरी लगाने के लिये क्षेत्र का सही-सही सीमांकन, क्षेत्र में फेरी लगाने की योजना, इस पटरी क्षेत्र में कितने पटरी विक्रेताओं को पटरी स्थान मिल सकते हैं, सुझाए गए प्रतिबन्ध(यदि कोई हो) लाभग्रहियों की संख्या अधिक से अधिक करने के लिये प्रस्तावित टाइम शोरिंग प्रबन्ध करना आता है। (ख) प्रस्ताव पटरी विक्रेता उप समिति नियोजन समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा। (ग) निदेशक/नोडल अधिकारी के क्षेत्र का सर्वेक्षण और पटरी विक्रय के लिये प्रस्तावित जीपीएस क्षेत्र का सीमांकन कराएंगे। वह पटरी विक्रय जांच नियोजन समिति के साथ परामर्श करके प्रस्ताव की संभावना का प्रथम दृष्टया जांच भी कराएंगे। (घ) तत्कालत निदेशक/नोडल अधिकारी दाये के प्रस्तावों का सर्वेक्षण कराएगा। इसके साथ-साथ प्रस्ताव दिल्ली यातायात पुलिस और भू-स्वामित्व अभिकरण की राय और टिप्पणियों के लिये भेजा जाएगा। (ङ) दिल्ली यातायात पुलिस/भूस्वामित्व अभिकरण को अपना अभिमत/टिप्पणियां प्रस्तुत करने लिये 30 दिन का समय होगा, जिसके विफल रहने पर यह मान लिया जाएगा कि उनके पास कोई अभिमत नहीं है और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा। (च) प्राप्त दावों और आपत्तियों पर विचार करने के उपरांत निदेशक/नोडल अधिकारी रिपोर्ट/प्रस्ताव तैयार करके वीपीसी के विचारार्थ भेजेंगे। इसके बाद पटरी विक्रेता नियोजन समिति प्रस्ताव पर अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करेंगी, जिसे नगर पटरी विक्रेता समिति को भेजा जाएगा। (छ) 7 फुट/2मीटर से कम चौड़े फुटपाथ पर किसी प्रकार का पटरी कारोबार अनुमत्त नहीं होगा। ऐसा पुलिस अधिकारियों के क्लीरेंस के अधीन होगा। (ज) स्थानीय निकाय नगर पटरी विक्रेता समिति द्वारा पटरी विक्रेता नियोजन समिति के अनुसमर्थन किए जाने के

	बाद पटरी विक्रेता क्षेत्र के रूप में क्षेत्र/गली को अधिसूचित करेगा।
8.5	पटरी विक्रेता जोन में कितनी कारोबार पटरियां लगाई जा सकती हैं, इसे ज्ञात करने के सिद्धांत और व्यापक गणना और सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का तरीका
8.5.1	स्थानीय निकाय के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन करके सर्वेक्षण किया जाएगा और अंकीकृत रूप में मानचित्र बनाया जाएगा।
8.5.2	पटरी लगाने की योजना में पैदल पथिकों के लिये पर्याप्त रास्ता कम से कम दो मीटर चौड़ा रास्तों की व्यवस्था की जाएगी।
8.5.3	सार्वजनिक सुविधा कार्यों के लिये पर्याप्त स्थान अनुमत्त होगा।
8.5.4	यदि पटरी विक्रेता जोन सार्वजनिक गली है और यह जोन पंक्ति के अंत में होगा और पैदल पथिकों/वाहनों के आने जाने के लिये काफी स्थान हो।
8.5.5	सार्वजनिक गली में केवल एक ही लाइन पटरी लगाने की अनुमति होगी। किसी प्रकार का ढेर लगाने की अनुमति नहीं होगी।
8.5.6	एक स्थाई/चलते फिरते पटरी विक्रेता/अस्थाई एवं रात्रि बाजार विक्रेता के लिये 6 फुट x 4 फुट गहरे स्थान विचारणीय होगा और भ्रमणशील पटरी विक्रेता के लिये 4 फुट x 4 फुट स्थान होगा।
8.5.7	उक्त पर आधारित एवं नई दिल्ली नगर परिषद की जनसंख्या के अढ़ाई प्रतिशत (2.5 प्रतिशत) की दर के मानक के अनुरूप तथा पटरी विक्रेता योजना के आधार पर पटरी विक्रेता जोन में केवल पटरी विक्रेताओं को पटरी स्थल देने के लिये गणना की जाएगी। अनुमत्त पटरियों की संख्या टाइम शेरिंग व्यवस्था द्वारा ज्ञात हो सकेगी। और इसी प्रकार कितनी पटरी लगाई जा सकेगी, ज्ञात किया जाएगा।
8.6	दूसरे स्थान पर पटरी लगाने/बसाने के सिद्धांत
8.6.1	स्वधित भूमि के लिए जब तक स्पष्ट और अविलम्ब आवश्यकता न हो या कुछ वास्तविक सुरक्षा और संरक्षा मामले न जुड़े हों जहां तक संभव हो, तब तक दूसरे स्थान पर पटरी लगाने को रोका जाना चाहिए।
8.6.2	पीडित पटरी विक्रेता और उनके प्रतिनिधि पुनर्वास परियोजना के नियोजन एवं क्रियान्वयन से जुड़े होंगे।
8.6.3	पीडित पटरी विक्रेताओं को दूसरे पटरी स्थलों पर बसाया जाएगा ताकि उनकी आजीविका तथा रहने के स्तर को सुधारा जा सके। वास्तव में कम से कम उन्हें पटरी खाली करने से पूर्व के स्तर पर बहाल किया जाए।
8.6.4	नयी अवसंरचना विकास परियोजनाओं द्वारा सृजित किए गए आजीविका के अवसर विस्थापित पटरी विक्रेताओं को दिए जाएंगे ताकि वे नये अवसंरचना द्वारा सृजित आजीविका के अवसरों का प्रयोग कर सकें।
8.6.5	परिसम्पत्तियों की क्षति रोकी जाएगी और यदि कोई क्षति होती है, तो क्षतिपूर्ति की जाएगी।
8.6.6	भूमि के दावे या अन्य हित का अन्तरण होने पर ऐसी भूमि पर पटरी विक्रेताओं के अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी ऐसे अन्तरण पर किसी प्रकार का पुनःस्थापन इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।
8.6.7	राज्य मशीनरी द्वारा बलात् खाली करने की प्रथा की रोकथाम और अंकुश लगाने के लिये व्यापक उपाय करेगा।
	<b>अध्याय - 9</b>
9.1	<b>राज्य स्तरीय पटरी विक्रेता कारोबार से संबंधित सभी मामलों के समन्वय के लिये राज्य नोडल अधिकारी का पदनाम</b> राज्य स्तर पर पटरी विक्रेता कारोबार से संबंधित सभी मामलों के समन्वय के लिये प्रधान सचिव /सचिव (शहरी विकास) दिल्ली सरकार राज्य नोडल अधिकारी होंगे।
9.2	इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति के लिये योजना में सन्निविष्ट किये जाने वाला कोई अन्य मामला। पुरानी योजना के अन्तर्गत आबंटित स्थान वर्तमान पटरी विक्रेताओं के लिये योजना।
9.2.1	जिस व्यक्ति को सर्वेक्षण में शामिल किया गया है या नहीं किया गया है, जिसे पटरी विक्रेता (आजीविका की रक्षा और पटरी व्यवसाय का विनियमन) अधिनियम, 2014 के प्रारम्भ होने से पूर्व स्थानीय निकाय द्वारा पटरी विक्रेता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है चाहे वह लाइसेंसधारी के रूप में जाना जाता है या कोई अन्य प्रकार का अनुमति पत्र रखता है, (चाहे कोई स्थाई विक्रेता है या कोई चलता फिरता विक्रेता के रूप में है या किसी अन्य श्रेणी के अन्तर्गत आता है) उसे जिस अवधि के लिये ऐसा पटरी विक्रेता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है, उस अवधि के लिये उस श्रेणी का पटरी विक्रेता मान लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पटरी विक्रेता प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि इस योजना के अधिसूचित होने की तिथि से प्रारम्भ होगी और तदनुसार पटरी विक्रेता शुल्क वसूल किया जाएगा।
9.2.2	ऐसे सारे व्यक्ति, जिन्हें किसी पुरानी योजना/थड़ेजा के अन्तर्गत पटरी विक्रेता का अनुमति पत्र आबंटित किया जा चुका है इस योजना के उपबन्ध के अनुसार प्रमाणित मान लिया जाएगा। कोई व्यक्ति, जो इस योजना के अनुसार पात्र नहीं है, उसे तत्काल स्थल/स्थान से हटाना होगा।

9.2.3	सार्वजनिक गली/सार्वजनिक स्थल पर किसी स्थान/स्थल का कोई पूर्ववर्ती आबंटी, जिसने कोई स्थाई ढांचा निर्मित कर लिया है स्टैण्ड खड़ा कर दिया है, पटरी विक्रेता द्वारा हटाकर तोड़ दिया जाएगा और स्थल को पूर्णतः साफ करके किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्ति कर देगा और वह इस योजना के प्रावधान के अनुसार बिक्री करेगा।
9.2.4	अधिभोगियों की अपात्रता के कारण खाली कराए गए स्थल अन्य प्रतीक्षा सूची के पंजीकृत व्यक्तियों को आबंटित करने के लिये या स्थल पर किसी विशेष पटरी विक्रेता को किसी प्रकार के पूर्ण अधिकार के बिना टाइम शेरिंग आधार पर पटरी क्षेत्र की घोषणा के लिए स्थानीय निकाय द्वारा विचार किया जाएगा। ताकि सभी पटरी विक्रेताओं को समानता का अवसर मिल सके।
10	पटरी विक्रेताओं पर लगाए जाने वाले अर्धदण्ड
10.1.1	यदि कोई पटरी विक्रेता पटरी कारोबार के शर्तों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो स्थानीय निकाय अर्धदण्ड लगाएगा। प्राधिकरण आबंटन को रद्द करने के लिये कार्रवाई कर सकता है।
10.1.2	अर्धदण्ड लगाने वाला प्राधिकरण शर्तों का उल्लंघन के लिए संक्षिप्त जांच करेगा और पटरी विक्रेता को सुनवाई का एक अवसर देगा।
10.1.3	पटरी विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 37 (ग) के अनुसार धारा 18 की उपधारा 5 तथा धारा 28 के अन्तर्गत अर्धदण्ड के निर्धारण के लिए स्थानीय प्राधिकरण उपविधियां बनाएगी।
11.1	अवसरचना सुधार, प्रशिक्षण और कौशल विकास तथा वित्त सहायता
11.1.1	वर्तमान मार्केट में मूलभूत सेवाओं के सुधारने के लिये सहयोग उपलब्ध करना जैसे शौचालय, कूड़ा कचरा निपटान सुविधा, प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक भण्डारण, विशेष प्रकार के व्यवसायों के लिये विशिष्ट ठेले, पटरी विक्रेताओं अन्य ग्राहकों के साथ परामर्श करके अस्थाई शेड और पार्किंग सुविधाएं
11.1.2	स्थानीय निकाय सभी पटरी विक्रेताओं के अधिकारों एवं दायित्व और पटरी विक्रेताओं से सम्बन्धित नीतियां, कानूनों एवं योजनाएं, खाद्य संरक्षा, स्वास्थ्य का रखरखाव, कूड़ा कचरा निपटान जैसे पहलुओं पर पटरी विक्रेताओं को अनुकूल बनाने के उद्देश्य से सभी पटरी विक्रेताओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा।
11.1.3	किसी प्रशिक्षण संस्थान/विशिष्ट अभिकरण/ख्याति प्राप्त स्वयंसेवी संगठनों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था बाहरी स्रोतों से की जा सकती है।
11.1.4	किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला में भाग लेने वाले पटरी विक्रेताओं को दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा। जितने दिन उन्होंने प्रशिक्षण में भाग लिया उतने दिन का भत्ता वृत्ति के रूप में दिया जाएगा जो आजीविका के अनिवार्य खर्च के आधार पर ज्ञात किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
अलोक शर्मा, उप-सचिव (एमबी) शहरी विकास विभाग

### URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

Delhi, the 23rd September, 2015

**F. No. 13(4)2011/UD/MB/2014/6093.**—In exercise of the powers conferred by section 38 read with sub-clause (ii) of clause (a) of section 2 of the Street Vendors (Protection of Livelihood And Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014), the Government of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following scheme, namely :—

#### 1. PRELIMINARY:

- (I) This scheme shall be called the Government of National Capital Territory of Delhi Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Scheme, 2015.
- (II) The provisions of this scheme shall come into force from the date of its publication in the Delhi Gazette.
- (III) The meaning and interpretations of street vendors, vending zone, scheme for street vendors, Town Vending Committee (TVC) and its function and other related matters shall be as per the Street Vendors (Protection of Livelihood And Regulation of Street Vending) Act, 2014 and the Delhi Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2014.

4063 DG/15-5

- (IV) The objective of this scheme is to provide and to promote a supportive environment for street vendors to carry out their vocation in accordance with the Act and Rules.
- (V) The street vendor scheme may be amended by the Government as and when the need arise after due consultations with the Local Bodies and the Town Vending Committee (TVC).

### **CHAPTER 1**

#### **1. The manner of conducting survey of Street Vendors:**

- (1.1.1) The Town Vending Committee (TVC) with the assistance of the local bodies shall, conduct a comprehensive digitized photo census /survey of all vendors and GIS mapping of all existing stationary street vendors within the area under its jurisdiction within a period of three months from the date of order by TVC , and subsequent survey shall be carried out after every three years.
- (1.1.2) The Local Body shall notify, in local dailies, the notice of commencement of on the spot survey of street vendors. The notice shall inter-alia specify:
- (a) Camps, market/Area-wise, date and time of surveys.
  - (b) Nodal Officer of the Area from Local Bodies.
  - (c) Date and Time up to which the applications for registration of street vendors shall be entertained.
- (1.1.3) The TVC shall conduct, monitor, supervise the survey and carry it out by undertaking comprehensive digitalized photo-biometric census, GPS/GIS mapping of the existing stationary and other vendors with the assistance of local bodies /professional organizations/experts/ NGOs.
- (1.1.4) The Local Bodies may engage an agency on recommendations of TVC through an open transparent process of selection to carry out survey of street vendors and may also utilize alternative methods of survey through community participation or with the support of NGOs /RWA/MTAs.
- (1.1.5) The survey shall be carried out by forming area/market wise teams consisting of officials of police and local bodies and member of TVC nominated or any such other agency(ies) including members from registered NGOs, Resident Welfare and Market Trader Associations as may be required for the purpose.
- (1.1.6) Survey Schedule shall be widely circulated and publicized through local newspapers (at least three and by notices at prominent places in the markets mentioning also about the requirement to be presented at the vending sites along with the necessary documents. The information through public notice inter-alia shall include the date of survey area to be covered point of Facilitation Center, the Nodal Officer of the survey, date and time of commencement and completion of survey.
- (1.1.7) The survey teams will collect the primary data, viz: name of the street vendor, gender, age , date of birth place of birth nature of trade/vending , mode of vending, parentage, spouse names, dependent children, place of vending, period since vending based on justifiable documentary evidence, address (present and permanent, contact number of the existing vendors status of vendor person with disability and women, proof of vending including Court orders if any, identity proof (if any ), application forms for remaining data, as prescribed "Annexure-A" by the Local Body, shall also be issued to the vendors on the spot.
- (1.1.8) The survey form/application for registration will be computer generated with unique barcode/ID and same will be mentioned in the accompanied acknowledgment receipt. The survey application form /registration will be done by the team/experts members nominated by TVC etc. at site during the survey. During the survey, the survey form shall be filled by the officials on the site/spot taking therein the details and necessary documents.
- (1.1.9) The Survey may be video-graphed or still photography of each vendor surveyed at the site with date of survey and the place of survey mentioned in the register of the survey record.
- (1.1.10) During the period of survey, registration form shall be filled and submitted on the spot i.e. at the site of vending by the officials and no separate registration forms by individuals are allowed to be deposited in the Department/Local Bodies for any reason whatsoever. Only after completion of the survey and subsequent registration of surveyed vendors and issuance of Certificate of Vending (COV) to the eligible persons based on the availability of vending sites, a notification of fresh registration will be issued by the TVC.
- (1.1.11) The latest technology for effective and transparent survey may be deployed including the use of GPS, tablet and online gathering of survey data and its real time up-linking to central server. The photograph, the site coordinates and its location and the documents made available at the survey site shall be scanned and uploaded in real time. The physical survey forms/application forms shall also be scanned and digitized which can be searched with unique ID and barcode incorporated in the acknowledgment form given to the applicant/vendor at the time of survey.
- (1.1.12) The official or facilitator completing the registration form or assisting the filling of form on the spot shall issue an acknowledgement bearing unique ID and Barcode for reference purpose. The surveyed vendors signature and thumb

impression will be obtained. The facilitator shall also provide information in the survey form about the application / survey form No., location of vending site, photograph of the vending site, scanning of documents etc.

(1.1.13) The fee for application form for applying for registration as street vendor shall be fixed of Rs. 100/- .

(1.1.14) Local Body/TVC shall also provide, through a Facilitation Service Provider, assistance to the street vendors to fill up the registration form.

(1.1.15) The eligibility conditions for registration as street vendors and subsequent issuance of Certificate of Vending are as under :-

- a. The Vendor should be a citizen of India, qualifies the minimum age criteria of 18 years, as specified in the Rules.
- b. She/he must be a registered voter of National Capital Territory of Delhi.
- c. His/her registration should not have been cancelled in the past for violation of terms of License/Registration on account of any reason whatsoever.
- d. There should be no pending arrears with respect to vending fee/ charges/ penalty recoverable against the applicant.
- e. Neither he/she nor any of his/her family member should be registered as street vendor and should not have been granted certificate of vending (COV) by any other Local Body of Delhi including temporary, weekly bazaar and festival vending.

(The local bodies shall share the data of the vendors for authentication of above information.)

(1.1.16) Authenticity of being genuinely engaged in street vending shall be verified from proofs of street vending activities like Festival Receipts, Token, Challan(s), Traffic Police Challan(s)/ Police Challan or any Receipt of Fine or Fees, Certificates of the Registered RWA's, Market Associations, Membership of Street Vendors Associations, NGO's engaged on the welfare of likewise people. The documentary evidences so provided should be scrutinized carefully and thoroughly.

(1.1.17) The responsibility of providing correct information in the Registration Form shall primarily liability of the Applicant. In case it is found that any false, incorrect or misleading information is provided by the applicant, the registration shall be cancelled and he/she shall be liable for prosecution for cheating/fraud.

(1.1.18) On receipt of application, the Nodal Officer, so appointed by the concerned Local Bodies shall issue an acknowledgement receipt to the street vendor of having registered with Local Bodies as incorporated in ANNEXURE 'A', which will bear the computer generated unique ID and the barcode that is mentioned in the application form. No applications shall be received after closure of the time period specified by the local body for the survey. All survey forms/registration application forms duly filled will be computerized and digitized records will be maintained.

(1.1.19) Submission of application during the survey shall not be a guarantee for a regular registration. The registration shall be determined separately on the basis of eligibility and verification of documents furnished by the applicant.

(1.1.20) Within thirty days of registration of the Street vendor(s), the Local Body shall publish the information on its website. The applicants who are denied registration shall be informed accordingly along-with the reasons for denial of registration and will be given an opportunity to file claims and objections through concerned Nodal Officer. Such information shall be provided in user-friendly manner with search facilities.

(1.1.21) Any person, having any claim/objection to the street vending application received or information provided by any applicant may file his/her claim/objection to the Nodal Officer within fifteen days of the date of publication on the official website of the Local Body. The Local Body may also through its officer/ staff, or through any other means, verify the details given by the Vendor in the application submitted by him. The Nodal Officer shall take a decision in the matter within a period of thirty days after receipt of objection/claim or receipt of any adverse information from the Local Body.

(1.1.22) The Local Body may prescribe form, fee and security amount for filing the claim/objections which shall not exceed Rs. 100/- for each application payable through bank draft or challan or cash against a receipt as the case may be.

(1.1.23) Registration of a street vendor will not confer upon them any right to vend or squat. The permission/certificate to squat/ vend will be decided by the TVC in consultation with the local body depending upon the scheme, norms, plan and the availability of space/site./holding capacity within the area. Only those persons who are issued certificate of vending (COV) shall have right to vend.

1.2 The period within which certificate of vending (COV) shall be issued to the street vendors identified under the survey:

1.2.1 The Certificate of Vending (COV) will be issued as soon as the survey is completed within the six month of survey subject to the provisions of scheme, *norm , plan and the availability of space/site and the holding capacity within the area.*

#### CHAPTER -2

2.1 **The terms and conditions subject to which Certificate of Vending (COV) shall be issued to a street vendor including to those persons who wish to carry on street vending during the intervening period of two surveys :**

2.1.1 Certificate of Vending will be issued after fulfillment of conditions as mentioned in Para 1.1.15 and the conditions mentioned below herein:-

2.1.2 COV shall be issued in the name of registered street vendor (individual only) and shall be non-transferable-except in the case of incapacity, insanity and demise of the registered vendor.

2.1.3 The timing of the vending shall be from sun-rise to sun-set or as fixed by the TVC/Local authority from time to time by way of notification for the area/zones of vending .

2.1.4 No temporary /permanent structures/ construction of any kind is permissible at the site. He/she shall keep all his wares confined to allocated space. No projections, extensions shall be protrude from the site of vending. However vendors may use umbrellas/sheds which are not permanently fastened to the ground or wall.

2.1.5 The registered street vendor shall furnish an undertaking to the effect that -

- a. he/she shall carry on the business of street vending himself or through spouse or dependent children
- b. he/she has no other means of livelihood
- c. he/she shall not transfer in any manner, whatsoever, including rent/lease the COV or the place specified therein to any other person
- d. he/she is not suffering from any infectious disease.
- e. he/she shall not leave wares and goods at the vending site after the vending hours. At the close of vending, the Vendor shall remove and take away all articles, installations, stands, takhat; clean all litter in or around his place of vending and leave the place of vending clear of all obstructions
- f. shall maintain cleanliness and public hygiene at the vending site /zones and adjoining area.
- g. shall pay periodic charges for the civic amenities and facilities provided in the vending zone as determined by Local Body or the Government from time to time.
- h. shall not carry out any vending in the no-vending zone or beyond the permissible days and timings

2.1.6 The Registered Vendor who has been issued COV shall be required to pay a monthly vending fee under this scheme as mentioned at Clause 4.1.3 and may be further enhanced/determined by Local Body in consultation with TVC from time to time in accordance with the specified vending zone and maintenance charges thereof. The fees prescribed for vending zones and maintenance charges shall be revised after every three years with atleast 10% enhancement.

2.1.7 The street vendor shall pay the prescribed fee latest by 10<sup>th</sup> of every month or as may be specified by the local authority. Delay in fee will attract penalties as specified in the scheme and as decided by the Local authority from time to time.

2.1.8 Inability to vend during a specified period, for any reason whatsoever, shall not be a ground for not paying or granting exemption from payment of the monthly license fee for vending.

2.1.9 A vendor shall not transfer in any manner whatsoever, including rent, the certificate of vending to any other person. The Registration certificate/ COV cannot be leased out / rented or sold in any manner to any other person. Under no circumstance the street vendor shall sublet the vending site.

2.1.10 The right to restrict, evict and relocate of COV shall vests with the Local Authority/TVC in case the question of public interest arises. The street vendor shall vacate the site forthwith after issued of notice, if required in public interest.

2.1.11 In case of incapacity of the licensee due to health or other reasons to be considered by the TVC/Local Authority/ designated officer, an intimation within 30 days shall be given to the TVC which may permit an adult member (spouse or dependent child who has attained an age of 18 years) of the Vendors household as specified in the application format to vend from the vending site given in the COV.

- 2.1.12 In case of death or incapacitation of the registered street vendor, the legal heir (s) may apply to the Nodal Officer, Local Body for transfer of registration/or the COV in the name of the legal heir (s) provide he/she has no other means of livelihood. There shall be no change in the date of expiry of the COV in case transfer is allowed.
- 2.1.13 A Vendor who has already been given any kind of vendors licence and has erected a temporary or a permanent structure at the vending site shall not be eligible for issue of Certificate of Vending under the scheme till the time he removes/demolishes the temporary/permanent structure raised on the vending site by him.
- 2.1.14 The Vendor shall display his COV in original at the conspicuous place of vending and to have all times any other identity card/ bio-metric smart cards in original issued by Local Body and the proof of payment of monthly fee while vending.
- 2.1.15 The Vendor shall keep the street and premises around his place of vending clean. He shall keep and deploy waste bin next to his place of vending for the purpose of collection of waste by his customers/ other public. He shall, from time to time clean the bin at designated place specified by the Local body.
- 2.1.16 The Vendor shall pay due attention to public health and hygiene in the vending zone/ vendors' market and the adjoining area. She/he shall contribute to promote the collective disposal of waste in the vending zone/ area. Vendor shall not dump any waste in drain, roadside, open areas or any other unauthorized place.
- 2.1.17 The street vendor shall not encroach upon the public land and exceed beyond the permissible limits. The space for vending shall be 6 x 4 feet and height of the stall not to exceed 3 feet. The street vending shall be open to sky and no permanent or temporary structure will be allowed. The vendor shall keep all his wares confined to the allotted space. No projections, extensions shall be protruding from the space of vending.
- 2.1.18 The Vendor shall not hamper the free movement of pedestrian and traffic in any way. Vendor shall operate from the edge of the road/ street (if vending from a street) and shall not cause any obstruction to smooth movement of traffic or pedestrians or non-motorized vehicles. He shall ensure that his/her customers shall not do unauthorized parking next to his vending site.
- 2.1.19 The vendor shall not sell obnoxious, hazardous and polluting items. It is to be ensured that the quality of product and services provided to the public is as per the standards of public health, hygiene and safety laid down.
- 2.1.20 The street vendor must not create any noise or play any instrument or music for attracting the public or the customers.
- 2.1.21 The street vendor shall not carry out any unauthorized/ illegal activity.
- 2.1.22 The street vendor shall vacate the vending site in case of emergency, for security reasons and if required for public purposes.
- 2.1.23 The street vendor shall not cause any damage to the public property. The street vendor shall repair immediately, at his/her cost, the damages that may have been (if any) caused to the public property as a result of negligence during the vending. The decision of the Local Authority will be final and binding upon the street vendor with regard to liability and quantum of damages to be paid by him/her.
- 2.1.24 Cooking shall not be allowed. Vendors selling food articles, including cooked foods must comply with all licensing regulations of the local authorities and provisions of Prevention of Food Safety and Standards Act, 2006.
- 2.1.25 No Electricity / water connection is permitted on the vending site. The Vendor may deploy renewable/battery operated devices to illuminate the vending premises without any hindrance and nuisance.
- 2.1.26 The vendor shall not occupy or stop at any place that is prohibited for street vending. Mobile vendor shall not stop for a period of more than 30 minutes at any place within his hawking zone/vending zone. The vendor shall not stop or vend in the non-vending zone.
- 2.1.27 The vendors shall not block the footpath or carryout vending on roads. Walkway of two meters width on footpaths should be maintained in front of the vending counters/stalls.
- 2.1.28 COV shall be cancelled on breach of any condition specified in the Act/ Rules/Scheme or if the COV is obtained through mis-representation or fraud.
- 2.1.29 COV is liable to be cancelled on non-payment of prescribed license fee for three continuous months. No vending shall be allowed in case defaulted the payment of license fee for continuous period of two months.
- 2.1.30 On cancellation/termination of permission to vend, the street vendor shall peacefully vacate and hand over the possession of the vending site immediately to the Local Authority.

## CHAPTER -3

**3.1 The form and the manner in which the certificate of vending may be issued to a street vendor:**

(3.1.1) A COV shall be issued to the Vendor in the Form as per Annexure 'B'.

(3.1.2) The COV shall be dispatched to the Vendor through Registered Post/Speed Post to the residential address declared by him/her in the application.

**3.2 The form and manner of issuing identity cards to street vendors:**

(3.2.1) Upon registration, the eligible persons who have been issued the Certificate of Vending (COV) shall be issued identity card or similar biometric-smart card having Unique ID, Barcode, Date of registration, Vendor Name, address, category of Vendor, Photograph of vendor, nature of business, nominees name dependent children, vending location etc. The Identity Card shall be issued on payment of Rs. 100 within 15 days of approval of COV in the Format as per Annexure- "C".

(3.2.2) Loss/damage of identity card / biometric smart cards shall be reported by the vendor to the Nodal Officer within a period of thirty days. The Vendor shall make a application for issue of duplicate identity card /smart card to the Nodal Officer with a fee of Rs. 200/- and a duplicate Identity Card/ smart card shall be issued to the Vendor within a period of thirty days from the receipt of the date of application. Same conditions shall be applied in the eventuality of Identity Card being damaged. The loss of identity card-should be reported to the Local Police. The damaged identity card shall be deposited to the Local Authority along with the application for issue of duplicate.

(3.2.3) During the survey, the original documents pertaining to present and permanent address proof may also be verified.

(3.2.4) A database of all street vendors registered will be maintained by Local Bodies, which can help in verifying the particulars of a street vendor from database of other local bodies for detecting any duplications of claims of vending and if already covered under any beneficiary scheme/survey.

**3.3 The criteria for issuing certificate of vending to street vendors:**

(3.3.1) The certificate of vending shall be issued to a registered street vendor by a Local Body if he or she does not have such certificate from other local body.

(3.3.2) The allotment of vending space shall be subject to demarcation of vending zones as restriction free/restricted/ no vending zones, available vacancies on time-sharing basis and holding capacity.

(3.3.3) In case the number of applicants exceeds the available number of vending sites/ spaces, the allotment will be made on the basis of draw of lots/ draw by computer or any such similar mechanism. Vending site wise allotment amongst the registered street vendors shall also be made by draw of lots.

(3.3.4) The preference shall be given to Persons with Disability and Women (3% and 30% respectively). Widows amongst women will be given priority.

(3.3.5) Those identified in the survey and registered, shall be given preference over the new entrants.

(3.3.6) The vendors who could not be issued COV as per their first choice shall be accommodated, subject to availability, as per their other choices of preference in chronological order to avoid non- issuance altogether.

(3.3.7) Not more than one member of a family be given a Certificate of Vending.

(3.3.8) For carrying vending activity for a temporary period during Festival Season/Mela etc.; the applicant shall apply to the Zonal Nodal Officer at least one month in advance, in such form as may be prescribed by the Local Authority. The application should be accompanied with the necessary fee.

(3.3.9) The area/street where temporary vending is to take place should have been an approved/notified by the Local Authority for temporary street vending.

(3.3.10) The demarcation of Street Vending Zone, as restricted/no Street Vending Zone, will be carried out by the Local Body in consultation with TVC and will identify holding capacity of the squatting/vending zone.

(3.3.11) Registration of Street Vendor/COV shall be restricted upto a maximum period of 9 years w.e.f. date of survey.

(3.3.12) Waiting list of unsuccessful eligible applicants will be maintained for consideration in future on availability of sites of Street Vending.

## CHAPTER-4

**4.1 The vending fees to be paid on the basis of category of street vending, which may be different for different zones :**

(4.1.1) The vendor shall pay the vending fee on monthly basis and shall submit the vending fee, in advance, by 10<sup>th</sup> of every month at the Community Service Bureau Counter of the respective zone/area. And if 10<sup>th</sup> day of the month is a Public Holiday then by the next working day.

(4.1.2) Penalty will be charged for delay in making payment @ Rs.20/- per day (or as may be decided by Local Body in accordance with specified vending zone) will be charged of the delay. If the delay is more than 3 (three) months, the registration of street vendors shall be liable to be cancelled after issue of a show cause notice.

(4.1.3) The Local Bodies may categorise the vending area as per the classification of property tax and fix the monthly vending fee as below:-

Category	Vending Fee (Rupees per month)			Others Vendors Temporary Vendor (Festival/Mela Occassions)
	Static Vendors	Mobile Vendor		
Category		Mobile Vendor and Weekly market Vendor	Peripatetic Vendor	
A	5000	2500	750	2500
B	4000	2000	750	2000
C	3000	1500	750	1500
D	2500	1250	600	1250
E	500	750	300	1000
F	400	750	250	750
G	300	500	200	500
H	200	300	150	300

(4.1.4) The vendor operating in different categories of colony / area shall have to pay the fee as per the category define by the Local Body.

(4.1.5) In case of relocation, the street vendor shall pay the license fee of new site/space as per its category of colony during remaining period of validity of COV.

(4.1.6) The Local Authority shall have powers to enhance the vending fee from time to time; or prescribe special vending fee for special areas which shall be notified after due consultation with TVC. In case of upper limit of the category fixed in para 4.1.3 of the vendor is to be enhanced, the prior approval of the Government is required.

(4.1.7) A rebate of 25% shall be allowed in case of vendors with Disabilities and Women Vendors.

(4.1.8) Recovery of arrears of vending fee: In case a street vendor fails to pay the vending fee by the due date, the concerned Authority may initiate proceedings for recovery of vending fee as per the following procedure:

(a) A notice of demand shall be served by the Officer designated/Nodal Officer as may be designated by the concerned Local Body upon the vendor for payment of the vending fee plus the delay charges by the date specified in the notice, or to show sufficient cause of failure.

(b) If the vendor shows sufficient cause for failure, the Nodal Officer shall do a summary inquiry into the cause and shall proceed accordingly under intimation to TVC.

(c) The Nodal Officer may take action, which may inter-alia include – confiscation of goods/wares and other items, release of confiscated goods (if any); initiation of cancellation proceedings etc.

**4.2 The manner of collecting, through banks, counters of local authority and counters of TVC, vending fees, maintenance charges and penalties for registration, use of parking space for mobile stalls and availing of civic services:**

(4.2.1) Banks may be designated to collect fee which will be subsequently remitted to the Local Body.

(4.2.2) Vending Fee shall also be payable at designated location of the Local Body.

(4.2.3) Local Body may make alternate arrangements as and when required.

#### 4.3 The period of Validity of Certificate of Vending:

(4.3.1) The validity period of a COV shall be initially for Three years from the date of its issuance subsequent to which it shall be renewed every three years. Total period of COV validity shall be Nine years including renewal periods subject to no violations of the Act/ Rules provision of the scheme. The transfer of COV to legal heirs shall not be construed as a fresh COV and the maximum validity shall remain Nine years from initial issue to the original vendor.

#### 4.4 The period for which and the manner in which a certificate of vending may be renewed and the fees for such renewal:

(4.4.1) A COV will be renewed for a period of three years from the date of initial issue. Total period of validity of licence including renewal period shall be Nine years.

The registered street vendor shall apply for renewal of COV at least three months prior to its expiry to the TVC/Local Body.

(4.4.2) The designated officer of the TVC/Local Body shall receive the certificate of vending for renewal under an acknowledgement and receipt to the Vendor.

(4.4.3) The renewal shall be carried out by making endorsement on the Certificate of Vending(COV) by the Nodal/ designated officer and the renewed COV will be delivered to the vendor either in person or dispatched to the residential address as provided in the application form.

(4.4.4) Renewal fee payable by the street vendor shall be the fee equivalent to one month's fee prescribed for the area/ zone payable at the time of submission of application for the renewal.

(4.4.5) The renewal of COV issued for permanent stationary site/mobile to a street vendor shall be for three years at a time.

(4.4.6) Any person, having any claim/ objection regarding the application for renewal received or information provided by any applicant may file his claim/objection to the Nodal Officer within 30 days of the date of issue of COV of the application. The TVC too, through its staff, or through any other means may also verify any application received at any point of time claims/objections received as above shall be taken into consideration and decided before the certificate of vending is renewed.

### CHAPTER 5

#### 5.1 The manner in which the certificate of vending may be suspended or cancelled:

(5.1.1) The designated officer (as designated by the Local Authority) may suspend or cancel the Certificate of Vending(COV) on following, among other grounds:-

- I. Unauthorized change of vending site.
- II. Non-payment of dues.
- III. Street Vendor found to be suffering from infectious disease.
- IV. Violation of terms and conditions for grant of Certificate of Vending (COV).
- V. Extension of vending site more than the permitted space.
- VI. Unruly behavior and causing nuisance to the neighbors.
- VII. Misrepresentation in the application for grant of Certificate of Street Vending.
- VIII. On conviction for an offence including moral turpitude and violation of other terms and conditions.

(5.1.2) The process of suspension or cancellation shall be carried out by the Nodal Officer appointed by the Local Body.

(5.1.3) Where a street vendor who has been issued a registration and/or COV under the Act commits breach of any of the conditions thereof or any other terms and conditions specified for the purpose of regulating street vending under the Act or any rules or schemes made there-under, or where it comes to the notice that such registration and/or COV has been secured by the street vendor through mis-representation or fraud, or non-payment of vending fee continuously for three months or on conviction of a criminal offence including moral turpitude, the Nodal Officer shall conduct a preliminary enquiry before cancellation of the COV.

(5.1.4) The Nodal Officer shall provide an opportunity of being heard to the vendor during the preliminary enquiry.

(5.1.5) The preliminary enquiry shall be summary proceedings. If, after the preliminary enquiry it is found that there is a prima facie a committal of violation, misrepresentation, fraud and breach of terms and conditions, the Nodal Officer may suspend or cancel the registration and COV and submit the report to the TVC.

(5.1.6) The TVC shall consider the report of the Nodal Officer and, after providing the street vendor opportunity of being heard, take a decision on cancellation /suspension or otherwise of the registration and COV.

(5.1.7) In case of minor violations, the Nodal Officer may impose fine upto Rs. 2000/- and issue warning instead of recommending cancellation or suspend the COV for a period as may be necessary to regulate such violations.

#### CHAPTER-6

##### 6.1. The categories of street vendors:

6.1.1 There shall be following exclusive categories of vendors:-

1. Static/ Stationery Vendors
2. Mobile Vendors or Peripatetic Vendors
3. Others (Daily/weekly/festival/fair market/ temporary etc. as may be categorized by Local Body)

6.1.2 Static Vendors means those who carry out vending from a single place/location throughout the day, without establishing a fixed structure (temporary or permanent) at the place of vending.

6.1.3 Mobile or Peripatetic vendors means those vendors who carry out vending on foot including those who carry baskets on their heads/slung on their shoulders. Mobile vendors also includes vendors who move from place to place vending their goods or services on pushcarts, bicycle, or mobile units on - motorized wheels.

6.1.4 Weekly Bazaar Vendors means vendors who participate in weekly bazaars and sell their goods/ services in weekly Bazaars.

6.1.5 Temporary Vendors means vendors who in normal course do not perform street vending, but on special occasions and seasons, such as festivals or fairs, vend their wares as street vendors for a short period.

6.1.6 Night bazaar vendors means a vendors who vends in a designated night bazaar during the period notified by the local body.

6.1.7. The Local Body will allocate sufficient space for temporary 'Vendor Markets e.g. Weekly haats, Rehri markets, night bazars, festival bazaars, food streets/street food marts at suitable locations whose use at other times may be different e.g. public parks, exhibition grounds, parking lot, etc. keeping in view demand for services of the vendors. Timing restrictions on vending to be in accordance with the need for ensuring non congestion of public spaces/maintaining public hygiene. Rationing of space to be resorted if street vendors numbers exceed the space available. Ample parking area also to be provided for mobile vendors for parking of vehicles and wares at night on payment of prescribed fee.

6.1.8. No vendor shall be entitled for registration/ issuance of COV for more than one category of vending.

6.1.9 Vendors, who sell their wares from a fixed Pucca immovable structure (allotted either by Government or private person) shall be treated as shops under Shops and Establishment Act. No benefit of Street vendor policy shall be available to such vendor, who operates from such fixed Pucca Immovable structure (temporary or permanent), whether authorized or unauthorized.

##### 6.2 The other categories of persons for preference for issue of certificate of vending:

Preference in issue of COV may be given to the following categories:

(6.2.1) **Persons with Disability : Allotment of 3% of the vending sites in all categories**, the preference allotment of 3% in above category shall be available on production of Disability Certificate (with photograph) issued by Competent Govt. Medical Authorities as defined in the relevant Act in force.

(6.2.2) **Women: 30% of vending sites in all categories**, Preference to Widows shall be given case to case basis.

##### 6.3 The public purpose for which a street vendor may be relocated and the manner of relocating street vendor:

(6.3.1) A street vendor who has been issued a COV shall be relocated only under exceptional circumstances and upon declaration of a vending zone or part of it to be a non-vending zone for public purposes like development project in public interest, security concerns, traffic congestion, spread of epidemic and natural calamity/other health reasons, cleanliness of area or any other valid reason.

(6.3.2) To the extent possible, the affected street vendor may be adjusted in same or nearby vending zone and also under the same type of vending as specified in COV subject to availability of vending space at the alternate site.

(6.3.3) For relocation from the place specified in the COV, the affected street vendor will be given a 30 days' notice by sending it through registered post at communication address of the street vendor and giving at least three choices in the same or nearby vending zone. If three alternate locations under the same type of vending as specified in the COV are not available, the affected street vendor may be given the choice of other categories of street vending. In case there

4063 DG/15-7

are more than one vendor choosing same relocation site then the site shall be decided by draw of lots and second alternative site to be allotted to other vendor who does not get the chosen site through draw of lots.

(6.3.4) On or before the expiry of notice period, the street vendor shall give in writing to the Nodal Officer his/her choice from the alternates made available. If the street vendor fails to give the choice, the Nodal Officer will issue the relocation order mentioning the new vending site/space, as deem fit and also upto Rs 250 per day for over-stay and failure to vacate the site in time, if any.

**6.4 The manner of evicting a street vendor:**

(6.4.1) A street vendor whose certificate of vending has been cancelled, or whose notice period in case of relocation has expired or who does not have a certificate of vending and vends without such certificate may be given a fifteen days notice to vacate the site and not to vend. No such notice is required to be given where such a street vendor is found to be causing traffic congestion, law and order problem and creating nuisance and unhygienic conditions etc.

(6.4.2) Reply of the vendor- his/her oral submissions to be considered and a decision taken whether or not a street vendor is required to be evicted.

In case it is decided to evict, the vendor shall be asked to leave the place taking away the goods within three days. In case he/she does not leave the place, goods shall be seized and a list will be prepared, the copy of which shall be delivered to the vendor on the spot failing which to his/her registered address through Speed Post. Police assistance to be taken if required. Seized Goods will be deposited in the Store of the Local Body and will be released on request of the concerned persons by charging prescribed charges.

**6.5 The manner of giving notice for eviction of a street vendor:**

(6.5.1) Notice for eviction may be given preferably in local language which can be easily comprehended by the vendor and in case street vendor is illiterate, violations detected and mentioned in the notice can be informed verbally.

(6.5.2) In case, the vendor refuses the service of notice or the service is not practically possible, the notice shall be pasted at the conspicuous place in the area of vending and on doing so, the notice shall be deemed to be served.

**6.6 The manner of evicting a street vendor physically on failure to evict:**

(6.6.1) In case the vendor fails to vacate the site after expiry of the notice period, if any the goods, wares and articles shall be confiscated and removed, including the cart, containers and stands and the structure made by the vendor on the public place shall be demolished.

(6.6.2) Photographs of the site/spot before and after the removal action shall also be taken and a report to be submitted to the TVC

**6.7 The manner of seizure of goods by the local authority, including preparation and issue of list of goods seized:**

(6.7.1) The designated official(s) of the local body shall make an objective assessment of the goods/ wares seized.

(6.7.2) The list of goods seized will be prepared in duplicate and duplicate copy of the list will be issued to the vendor. The copy of the goods seized shall mention the name of the official, his designation and the office address and the address of the premises from where goods can be reclaimed. The form of seizure memo is as per Annexure 'D'.

**6.8. The manner of reclaiming seized goods by the street vendor and the fees for the same:**

(6.8.1) The application for releasing seized goods, in case of perishable goods, shall be allowed to be submitted on the same day and in case of non-perishable goods within 15 days of the seizure. Beyond this period, the right of street vendors on the goods seized shall cease and the Local Body is well within its rights to dispose or auction of the goods.

(6.8.2) The perishable seized goods shall be released within 24 hrs and non-perishable seized goods within three working days of the claim being made by the street vendor subject to payment of prescribed fee or penalty, which is to be deposited with the local body. If any perishable /eatable item is found to be unhygienic/ spoiled/ rotten or not fit for human consumption, the same shall be destroyed by the local authority without any compensation to the claimant.

(6.8.3) In case, seized perishable goods are not claimed by the street vendor on the same day, the Local Body may dispose or auction, depending on the condition and circumstances, the seized perishable goods on the next day or in manner as may be decided by the local authority.

**(6.8.4) Storage Charges:**

Following storage charges shall be levied for reclaiming seized vending material.

Storage Charges (In Rupces)	
Load up 100 g(24 hrs) per day	Rs. 250
More than 100 Kg per day	Rs. 500
Removal of Cycle	Rs. 50

Removal of Scooters/ Motor cycle	Rs. 300
Removal of Cars/Vans/Jeep	Rs. 500
Removal of commercial vehicles/ vehicles with commercial activities	Rs. 3000

#### CHAPTER-7

#### 7.1 The form and the manner for carrying out social audit of the activities of TVC:

(7.1.1) The TVC shall constitute an Independent Social Audit Unit (ISAU) for the purpose of carrying out social audit. The social audit unit may comprise of resource persons, eminent citizens, representatives of street vendors and market associations and other professions who have experience in planning and worked for the betterment of street vendors and society.

(7.1.2) The social audit shall be carried out at least once a year. The schedule shall be decided by the local body and the TVC.

(7.1.3) The TVC shall provide details of relevant information at least a month before the process of social audit commences. The information to be provided shall be inclusive of and comprise of the following :

- a. Plan and Scheme for Street Vendors.
- b. Street Vendors' Charter.
- c. Status of implementation of the Act, Rules and Schemes.
- d. Returns furnished to Govt. and Local Body.
- e. Record of resolution and minutes of the meeting conducted by the TVC during the audit period.
- f. Record of registered street vendors and those who have been issued COV. Details of those who have been denied registration and waiting list of street vendors.
- g. Record of appeals made before the local authority
- h. Record of all grievances/disputes brought before the Dispute Redressal Committee.
- i. Record of the total number and details of relocations and evictions and confiscation of goods street vendors taken place in that particular year.
- j. List of restriction free/ restricted/ no vending/ time sharing basis zones. Vending zones and markets added during the audit period.
- k. Previous social audit reports, if any.

(7.1.4) The social audit unit shall conduct meetings and focused group discussions with street vendors on various aspects of the implementation of the Act, Plan and the Scheme. The social audit unit shall record in writing grievances of street vendors on any issue faced by them. At the culmination of the social audit process, the social audit unit shall record its findings in writing.

(7.1.5) The social audit unit shall hold a public meeting wherein TVC members and representatives of the local body will be present and street vendors will also participate. The social audit unit shall read out its findings at the meeting. Street vendors shall be encouraged to testify and the TVC shall respond to each of the issues identified in the social audit by giving clarification and/or explanation to the affected party and the public as to why a certain action was taken or not taken.

(7.1.6) The local body shall give adequate notice of the social audit public meeting by way of a public notice.

(7.1.7) The budget for conducting social audit shall be allocated by the local body.

#### 7.2 The manner of maintenance of proper records and other documents by the TVC, local body, planning authority and State Nodal Officer in respect of street vendors:

(7.2.1) Following up-to-date records shall be maintained in electronic form or manually or in both forms by the Town Vending Committee (TVC):

- (i) Street vendors register
- (ii) COV issued (with details)
- (iii) Waiting list of Street Vendors- those have not been issued COV.

- (iv) List of all the vending zones with holding capacity
- (v) Available site/space (Local Body/vending zone wise)
- (vi) Records and minutes of the meeting
- (vii) Resolutions of the TVC
- (viii) Attendance Register
- (ix) Remuneration Register
- (x) Accounts of Cash Book and General Ledger.
- (xi) Records of cancellation of registration and COV
- (xii) Records of social audit, promotional measures and awareness campaigns.
- (xiii) Personal files of members of the TVC

All other matters as mentioned in Rule 25 of the Delhi Street Vendors Rules -2014

By the Local Body :

- (i) Street vendors register
- (ii) Applicants denied registration
- (iii) Details of survey conducted
- (iv) COV issued
- (v) Waiting list of Street Vendors- those have not been issued COV.
- (vi) Demand and Collection Register
- (vii) Individual files of each street vendor
- (viii) Suspension/ cancellation of COV
- (ix) Rules, schemes, circular, resolutions, guidelines and instructions.
- (x) List of restriction-free, restricted and no-vending zones.
- (xi) List of time sharing basis vending zones
- (xii) Holding capacity of vending zones
- (xiii) Records of members of grievances redressal committee
- (xiv) Records of all expenditure of TVC/ other committees

#### CHAPTER-8

#### 8.1 The conditions under which private places may be designated as restriction free-vending, restricted-vending zones and no-vending zones:

(8.1.1) Private places may be designated as restriction free/restricted/no-vending zone in accordance with no objection certificate of land/ property owner/ RWAs/ Market associations of District centers as the case may be and on recommendations of the TVC subject to no objections certificate from the local body/agency and local police/traffic police and RWA/Group Housing Society.

(8.1.2) Safety, security, traffic conditions, cause of general nuisance and demand from RWA/Market Associations would be the basis of vending at private places.

#### 8.2 The terms and conditions for street vending including norms to be observed for up keeping public health and hygiene:

(8.2.1) The Vendor shall conspicuously display his COV at the place of vending and also possess the biometric smart identity card at all times.

(8.2.2) The Vendor shall keep the street and premises around his place of vending clean. He shall keep and deploy waste bin next to his place of vending for the purpose of collection of waste by his customers/ other public. He shall, from time to time clear the bin at designated place specified by the Local body.

(8.2.3) The Vendor shall pay due attention to public health and hygiene in the vending zone/ vendors' market and the adjoining area. She/he shall contribute to promote the collective disposal of waste in the vending zone/ area. Vendor shall not dump any waste in drain, roadside, open areas or any other unauthorized place.

(8.2.4) He/she shall keep all his wares confined to this space. No projections, extensions shall be protruding from the space of vending

(8.2.5) No Vendor shall install any fixed structure (temporary or permanent) at his place of vending. He/she may only put movable items (such as umbrella, tarpal, cartons etc) which can be removed immediately.

(8.2.6) The street vendor shall not encroach upon the public land and exceed beyond the permissible limits.

(8.2.7) The Vendor shall not hamper the free movement of pedestrian and traffic in any way. Vendor shall operate from the edge of the road/ street (if vending from a street) and shall not cause any obstruction to smooth movement of traffic or pedestrians or non-motorized vehicles. He shall ensure that his/her customers shall not do unauthorized parking next to his vending site.

(8.2.8) The street vendor shall abide by the timings of squatting/vending. He/she shall not leave wares and goods at the vending site after the vending hours. At the close of vending, the Vendor shall remove and take away all articles, installations, stands, takhat; clean all litter in or around his place of vending and leave the place of vending clear of all obstructions.

(8.2.9) The vendor shall not sell obnoxious, hazardous and polluting items.

(8.2.10) The street vendor must not create any noise or play any instrument or music for attracting the public or the customers.

(8.2.11) The street vendor shall not carry out any unauthorized/ illegal activity and shall not vend any article through any unauthorized vendor at the vending site. He/ she shall not sub-let the vending site.

(8.2.12) The street vendor shall vacate the site in case of emergency, for security reasons and if required for public purposes.

(8.2.13) The street vendor shall not cause any damage to the public property. The street vendor shall repair immediately, at his/her cost, the damages that may have been (if any) caused to the public property as a result of negligence during the vending.

(8.2.14) The Vendor shall not carry out cooking at the vending place. Vendors selling food articles, including cooked foods must comply with all licensing regulations of the local authorities and provisions of food adulteration act.

(8.2.15) No Electricity/water connection is permitted. The Vendor may deploy renewable/battery operated devices to illuminate the vending premises.

(8.2.16) The vendor shall not occupy or stop at any place that is prohibited for street vending. Mobile vendor shall not stop for a period of more than 30 minutes at any place within his hawking zone/vending zone. The vendor shall not stop or vend in the non-vending zone.

(8.2.17) A walkway of minimum 2.0 mtrs width shall be provided for the pedestrians in front of the vending site.

(8.2.18) The vendor shall abide by the timing prescribed by the local authority.

(8.2.19) Street vendor selling food articles shall obtained health trade licence from the concerned office of the Health Officer of Local Body.

(8.2.20) Street vendor shall not dump any waste in drain, roadside, open areas or any other unauthorized place.

### 8.3. The manner of carrying out vending activities on time-sharing basis:

(8.3.1) The TVC shall recommend the vending zones that may be notified for time-sharing basis vending depending on the high demand for a particular zone.

(8.3.2) The weekly bazaars/ week-end markets shall be run on a first-come-first-serve basis depending on the number of vending sites that can be accommodated in the designated area and the number of vendors seeking vending places.

(8.3.3) In places like verandas or parking lots in areas such as central business districts, vendors' markets can be organized after the closing of the regular markets. Such markets can be run from time so fixed by the concerned Local Body on a roster basis or a first-cum first-serve basis, with suitable restrictions determined by the TVC and Local Body.

### 8.4. The principles for determination of vending zones as restriction-free-vending zones, restricted - vending zones and no-vending zones:

(8.4.1) Places that are natural markets shall be first considered and allowed as vending zones, subject to conditions and restrictions that may be imposed by the local bodies, with ratification of TVC and the traffic police/ local police on owing to issues of traffic congestion/issues and law and order problems.

uob 3 DG/15-8

(8.4.2) Venues that have been traditional weekly Bazaars shall also be considered and allowed for street vending on particular weekday(s) and timings, and subject to conditions and restrictions that may be imposed by the local bodies, with ratification of TVC.

(8.4.3) Weekly Bazaar will only be held on such day(s) when market is closed, or before/after normal market hours. Different timings may be fixed for summer/ winter months.

(8.4.4) There should not be any vending within 100 meters of any worship, educational institute and hospitals/railway stations, foot-over bridges

(8.4.5) No cooking of any nature whatsoever by a street vendor, is permitted

(8.4.6) There shall be a Sub Committee called as Vending Planning Committee (VPC) in the concerned Local Body to be chaired by the officer designated by the Local Body. The Members of VPC shall be:

- (a) Two members from TVC
- (b) Three members designated by the Local Body
- (c) Representative from Delhi Traffic Police,
- (d) Representative from the Office of the Deputy Commissioner ( Revenue)
- (e) Representative from Fire Service,
- (f) Two members from the Market Traders Association
- (g) Convener of the VPC designated by the Local Body
- (h) Representative of Delhi Police.

(8.4.7) Procedure for declaration of Restriction Free/ Restricted/ No Vending/ Time Sharing Basis Vending Zones-

- (a) Any Registered Association of street vendor may submit a proposal for declaration of any street/ land as vending zone or a weekly market. Local body may, on its own initiative, prepare such proposal as well. The proposal should consist of sitemap of the area with proper dimensions, clearly demarcating the area for vending; plan for squatting in the area; number of vendors it may accommodate; suggested restrictions (if any); and proposed time-sharing arrangements to maximize the number of beneficiaries.
- (b) The Proposal shall be submitted to the Sub-Committee – Chairman of VPC.
- (c) The Director/Nodal Officer shall cause to conduct survey of the area and GPS demarcation of the area proposed for vending. He shall also examine prima-facie feasibility of the proposal in consultation with the VPC.
- (d) The Director/Nodal Officer shall thereafter notify the proposal for claims and objections by any stakeholders. Simultaneously, the proposal shall be forwarded to Delhi Traffic police and the Land Owning Agency for their comments and observations.
- (e) Delhi Traffic Police/ Land Owning Agency shall have thirty days time to furnish their comments/ observations, failing which, it shall be presumed that they have no comments to offer and appropriate decision may be taken by the local authority.
- (f) After considering the claims and objections received, the Director/Nodal officer shall prepare a report/proposal to the VPC for consideration. The VPC shall thereafter furnish their recommendation on the proposal which shall be presented to the TVC.
- (g) No vending on footpaths less than 7 feet/ 2 mtrs to be allowed subject to clearance by the Police Authorities.
- (h) The Local Body shall notify the area/street as vending zone after ratification of the proposal of the VPC by the TVC.

**8.5. The principles for determining holding capacity of vending zones and the manner of undertaking comprehensive census and survey:**

- (8.5.1) The area under the jurisdiction of the local body shall be clearly demarcated and surveyed and digitally mapped.
- (8.5.2) Ample space at least 2 mtr wide shall be provisioned for pedestrian movement in the squatting plan.
- (8.5.3) Adequate space would be allowed for public utility operations.
- (8.5.4) If the vending zone is on the public street, it shall be on the edge of the ROW with sufficient pedestrian/ vehicular movement.

- (8.5.5) On Public Street only one line of squatting would be allowed. No stacking would be permitted.
- (8.5.6) Space of 6(feet) x 4(feet)(depth) will be considered for one static/mobile vendor/temporary and night bazaar vendor, and 4'x4' for a peripatetic vendor.
- (8.5.7) Based on above and subject to norm conforming to two and half percent (2.5 %) of the population of the NDMC and in accordance with the plan for street vending, the number of street vendors the vending zone can accommodate, shall be calculated. No. of shifts allowed may be determined by the time-sharing arrangement, and accordingly, holding capacity shall be determined.
- 8.6 Principles of relocation:**
- (8.6.1) Relocation should be avoided as far as possible, unless there is clear and urgent need for the land in question or some genuine safety and security issues are involved.
- (8.6.2) Affected vendors or their representatives shall be involved in planning and implementation of the rehabilitation project.
- (8.6.3) Affected vendors shall be relocated so as to improve their livelihoods and standards of living or at least to restore them, in real terms to pre-evicted levels.
- (8.6.4) Livelihood opportunities created by new infrastructure development projects shall accommodate the displaced vendors so that they can make use of the livelihood opportunities created by the new infrastructure.
- (8.6.5) Loss of assets shall be avoided and in case of any loss, it shall be compensated.
- (8.6.6) Any transfer of title or other interest in land shall not affect the rights of street vendors on such land, and any relocation consequent upon such a transfer shall be done in accordance with the provisions of the Act.
- (8.6.7) State machinery shall take comprehensive measures to check and control the practice of forced evictions;

#### CHAPTER-9

##### **9.1 The designation of State Nodal Officer for co-ordination of all matters relating to street vending at the State Level:**

Pr. Secretary/Secretary (Urban Development) Government of NCT of Delhi will be the State Nodal Officer for coordination of all matters relating to street vending at the State Level.

##### **9.2 Any other matter which may be included in the scheme for carrying out the purposes of this Act. Policy for existing street vendors allotted sites/spaces under old scheme(s):**

(9.2.1) A person whether or not included under the survey, who has been issued a certificate of vending by Local Body before the commencement of Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014, whether known as licensee or have any other form of permission (whether as a stationary vendor or a mobile vendor or under any other category) shall be deemed to be a street vendor for that category for the period for which he/she has been issued such certificate of vending. Further validity period of COV shall commence from the date of this scheme is notified and vending fee will be charged accordingly.

(9.2.2) All such persons who have been allotted permission of vending under any old scheme/Thareja verified shall be treated as per the provision of this scheme. Any person who is ineligible as per this scheme, shall have to be evicted from the site/space immediately.

(9.2.3) Any previous allottee of a site/location on Public Street/public space who has constructed/affixed any fixed structure/stand shall be removed/ dismantled by the vendor and the site cleared completely, free of any obstructions and he/she shall vend in conformity with the provision of scheme.

(9.2.4) Sites vacated/cleared due to ineligibility of occupiers may be considered by the local authority for allocation to other eligible wait listed registered persons or declaration of vending zone on time-sharing basis without any exclusive right of any particular vendor on the site, so that all street vendors may get equality of opportunity.

##### **10. Fines that may be imposed on street vendors**

(10.1.1) If a street vendor is found violating terms of vending, the authority that may be notified by the Local Body will impose prescribed fine, In case of repeat violations, the Authority may proceed for cancellation of allotment proceedings.

(10.1.2) The authority imposing fine shall conduct summary inquiry of violation of the terms and provide the vendor, an opportunity of being heard.

(10.1.3) As per Section 37(C) of the Street Vendors (Protection of Livelihood And Regulation of Street Vending) Act, 2014, the local authorities shall frame the Bye-Laws for determination of penalties under Sub-section 5 of Section 18 and Section 28.

The Local Authority shall have the powers to revise the fine structure from time to time.

**11.1 Infrastructure improvement, training and skill development and financial assistance**

(11.1.1) Local Body to provide support for improvement of basic services in the existing markets such as toilets, waste disposal facility, lighting, common storage, specialized carts for specific types of trades, temporary sheds and parking facilities in consultation with street vendors and other stakeholders.

(11.1.2) The Local Body shall undertake training programmes for all street vendors with the objective to orient the street vendors on aspect such as their rights and responsibilities, policies, laws and schemes related to street vendors, food safety, maintenance of hygiene, waste disposal.

(11.1.3) Delivering of training may be outsourced to a training institute/specialized agencies/reputed NGOs

(11.1.4) Street vendors to undergo a training programme/workshop will be paid a daily allowance as his stipend for number of days attended which is calculated based upon opportunity cost of livelihood.

By Order and in the Name of Lt. Governor of  
the National Capital Territory of Delhi,

ALOK SHARMA, Dy. Secy. (MB) (UD)